कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

मार्गशीर्ष–माघ 2077, जनवरी 2021

स्वदेशी पत्रिका और स्वदेशी परिवार की ओर से
स्वदेशी के सभी पाठकों, लेखकों तथा स्वदेशी में योगदानकर्त्ता को

गणतंत्र दिवस

की

हार्दिक शुभकामनाएं

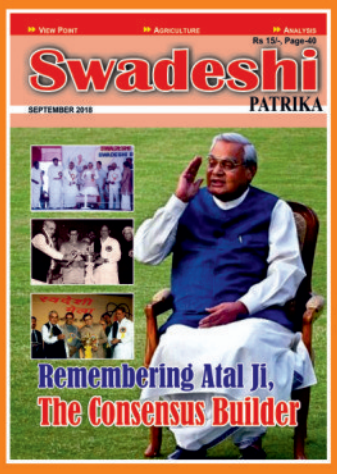

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI
Patrika

स्वदेशी
पत्रिका

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–29, अंक–1
पौष – माघ 2077 जनवरी 2021

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–6

'शून्य-वर्ष' घोषित हो साल २०२०

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 **आवरण कथा**
नए दशक ने दी दस्तकः फिर से चल निकला बाजार
..... अनिल तिवारी

10 **आजकल**
सुपर पावर बनने की दौर में कहां खड़ा है भारत
..... विक्रम उपाध्याय

12 **स्वदेशी पहल**
स्वदेशी से बनायें समृद्ध व समर्थ भारत
..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

16 **स्वदेशी पहल**
सम्बल व संरक्षण से ही साकार होगा सपना
..... डॉ. धर्मेन्द्र दुबे

18 **आत्मनिर्भर भारत**
स्वदेशी तेजस से बढ़ेगी तेजस्विता की उड़ान
..... ललित कुमार

20 **विश्लेषण**
कृषि उपज बाज़ार प्रणाली में सुधार जरूरी
..... अनिल जावलेकर

22 **मुद्दा**
प्रकाशकों के खिलाफ सरकार करे सक्रिय हस्तक्षेप
..... स्वदेशी संवाद

24 **खेतीबारी**
बाजार भरोसे खेती को छोड़ने के जोखिम
..... देविन्दर शर्मा

26 **आजकल**
स्वदेशी वैक्सीन से बढ़ी देश की साख
..... स्वदेशी संवाद

28 **पहल जल प्रबंधन**
फुटकर व्यापार के अस्तित्व के लिए वोकल फॉर लोकल को अपनाना आवश्यक
..... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

30 **बजट**
बजट में आयकर बढ़ाइए
..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

32 **जल प्रबंधन**
कहां गए पोखर–तालाब
..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

पाठकनामा

दूरगामी फायदे के है तीनों कृषि बिल

केंद्र की सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए तीनों कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध के कारण किसानों का हुजूम दिल्ली की सभी सीमाओं पर पिछले डेढ़ महीने से डटा हुआ है। दिल्ली के आम नागरिकों को एनसीआर के क्षेत्रों में आने–जाने में भी असुविधा हो रही है। सरकार कृषि कानूनों को लेकर उठे तूफान को शांत करने के लिए अब तक आठ दौर की बातचीत किसानों के साथ कर चुकी है। जैसे–जैसे समय बीत रहा है, वैसे–वैसे इन कृषि कानूनों के पक्ष में कई एक किसान संगठन भी अपनी बात रखने लगे हैं। पिछले हफ्ते 23 किसान संगठन के लोगों ने कृषि मंत्री से मिलकर कृषि कानून का समर्थन किया तथा कहा कि इससे किसानों का हित बढ़ जाएगा।

सरकार द्वारा कृषि सुधार के लाए गए इन तीन कृषि कानूनों का पुरजोर समर्थन किया है महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन ने। मालूम हो कि शेतकरी संगठन का गठन महाराष्ट्र के लोकप्रिय किसान नेता शरद जोशी ने किया था। शेतकरी संगठन का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर देशभर में भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह किसानों के हित में नहीं है और न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान सरकार खत्म करना चाह रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि सरकार अपने बयानों में यह स्पष्ट कर चुकी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले था, अब भी है और आगे भी हमेशा बदस्तूर बना रहेगा, क्योंकि वह किसानों का मूल अधिकार है, जिससे कोई भी सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती। कई एक किसान संगठनों का कहना है कि नए कृषि कानून से उनकी सीमित पहुंच खत्म होगी तथा उनके लिए बाजार का दायरा बड़ा होगा। शेतकरी संगठन पहले से ही खुले बाजार का समर्थक रहा है और प्रतिस्पर्धा को सही मानता है ताकि किसान के पास विकल्प मौजूद हैं और उसे सही लागत मिल सके। मालूम हो कि शरद जोशी उन तीन बड़े कृषि नेताओं में से एक हैं जो वैश्वीकरण और कृषि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश का समर्थन करते रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत और कर्नाटक के रहता संघ के मुख्य नानजुंदास्वामी का नाम भी इस सूची में शामिल है। इन तीनों नेताओं ने वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के फैसले का भी स्वागत किया था।

विरोध कर रहे किसानों को कमियां दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मेरा मानना है कि कृषि कानून मंडियों के एकाधिकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है और किसानों के लिए मुक्त बाजार उपलब्ध कराता है। वैसे भी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह जिन्हें दूसरा पक्ष नहीं देखा, वह विरोध कर रहे हैं। अगर उन्हें भी पक्ष समझ में आए तो मुझे लगता है कि इसका विरोध कम होगा।

प्रवीण दीक्षित, बागपत, उ.प्र.

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,

नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

भारत ने कोविड–19 महामारी को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में काम करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। अगर हम मिलकर काम करें तो प्रभावी वैक्सीन के इस्तेमाल से हर जगह सबसे कमजोर लोगों को बचाने का लक्ष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

टेड्रोस अधानोम (प्रमुख, *विश्व स्वास्थ्य संगठन*)

भारत उन उत्कृष्ट लोगों से भरा है जो स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए लगन से काम कर रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)

हम कोविड–19 के प्रभाव को प्रभावी रूप से कम करने में सक्षम है। सभी गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों से अपील है कि वे जल्द से जल्द टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सरकार की पूरी सहायता करें।

डॉ. हर्षवर्धन (स्वास्थ्य मंत्री, भारत)

हम मानते हैं कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी न केवल किसानों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तर्क भी दिया है कि इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी।

डॉ. अश्वनी महाजन (अ.भा.सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच)

संपादकीय

इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा तय हो

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह अस्पतालों में इलाज की कीमतों पर सीमा तय करें। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने 'आयुष्मान भारत' योजना के अंतर्गत इलाज प्रदान कर रहे अस्पतालों और नर्सिंग होमों के लिए विभिन्न इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा तय की भी है, लेकिन आमजन के लिए अस्पतालों पर कोई अंकुश नहीं है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को दिए निर्देश का खासा महत्व माना जा रहा है।

पिछले काफी समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जा रही है। पिछले लगभग 30 वर्षों में भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण की नीति के अंतर्गत एक ओर सरकारों के आर्थिक संसाधन सिकुड़े, तो दूसरी ओर सामाजिक सेवाओं की ओर सरकारों का नजरिया भी बदला। अब शिक्षा और स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सेवाओं पर कुल सरकारी खर्च के प्रतिशत के रूप में ठहराव आ गया है। लेकिन इस बीच बढ़ती संक्रामक एवं गैर संक्रामक बीमारियों, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बदलते नजरिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई शोध के कारण नई दवाइयों एवं जांच तथा नए इलाजों के अविष्कारों के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर सरकारी सुविधाओं का विस्तार लगभग थम सा गया है। ऐसे में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की पूर्ति काफी हद तक अब निजी क्षेत्र से हो रही है।

इसके बावजूद अभी भी बाहरी रोगियों के मामले में 25 प्रतिशत और अस्पताल भर्ती के मामले में 40 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी संस्थानों से प्राप्त हो रही हैं। देखा जाए तो गांवों और शहरों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में इलाज, टीकाकरण, जच्चा–बच्चा देखभाल, समेत कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आमजन को प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र का बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए इजादों को गांवों और शहरों में आमजन तक पहुंचा पाया। इसका लाभ यह हुआ कि 5 वर्ष के नीचे के बच्चों की मृत्यु दर हाल ही के दशकों में खासी कम हुई है। गौरतलब है कि है यह दर घटती हुई 1992–93 में 119, 1998–99 में 101, 2005–06 में 74 और 2019 में मात्र 34 प्रति हजार ही रह गई है।

गौरतलब है कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी मोटे तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए भोजन की उपलब्धता, आदि के कारण है। प्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र का योगदान इस मामले में अधिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ सुविधाओं में अति अल्प विस्तार दिखाई देता है। सभी प्रांतों में नए बड़े अस्पताल, एम्स आदि स्थापित तो हुए हैं, लेकिन द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार अधिकांशतः निजी क्षेत्र और उनमें भी कारपोरेट क्षेत्र में हुआ है। बड़ी संख्या में छोटे–बड़े नर्सिंग होम भी निजी क्षेत्र में ही बने हैं।

बीमारियों के बढ़ने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और इलाज से संबंधित नए उपायों के चलते, देश में नर्सिंग होम अस्पताल में अधिक लोग भर्ती होते हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च वर्ष 2004 और 2014 के बीच लगभग ढ़ाई गुना से अधिक हो चुका है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान (एनएसएसओ) के 75वें सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक बार निजी क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 27347 रूपए और शहरी क्षेत्र में 38822 रूपए औसतन रिकार्ड किया गया (जूलाई 2017 से जून 2018)।

स्वास्थ्य के बढ़ते निजीकरण का असर यह हो रहा है कि जनता पर स्वास्थ्य खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। आज कुल स्वास्थ्य पर खर्च का दो तिहाई से ज्यादा जनता की जेब से होता है। 'लैनसेट' नामक मेडिकल जनरल के अनुसार भारत में लोग स्वास्थ्य पर अपनी जेब से 78 प्रतिशत खर्च करते हैं, जो कि दुनिया के अन्य मुल्कों से ज्यादा है। स्वास्थ्य खर्च के बोझ के कारण लोग गरीबी की रेखा से नीचे खिसकते जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में सरकार ने 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रूपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए इलाज का बोझ अभी भी असहनीय है।

निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य क्षेत्र (विशेष तौर पर द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं) में बढ़ती भूमिका और आमजन पर बढ़ते दबाव के चलते निजी क्षेत्र के नियमन की जरूरत बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने हृदय की धंमनियों में लगने वाले स्टंट और कृत्रिम घुटनों की कीमतों को नियंत्रित कर आम जनता को बड़ी राहत दी थी, लेकिन इतना भर करना अत्यंत अपर्याप्त माना जा रहा है। इसलिए सभी के लिए और सब प्रकार के इलाज की दरें नियमित करना समय की मांग है।

दवाइयों के क्षेत्र में अति आवश्यक दवाइयों में कीमत नियंत्रण हेतु नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) कार्यरत है। इस संस्थान द्वारा चिकित्सा खर्च का नियमन किया जाता है। इस संबंध में कई उपकरणों को पहले से ही दवा की श्रेणी में रखकर उनकी कीमत नियंत्रण हेतु आधार बन चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि निजी क्षेत्र में चिकित्सा लागत को नियंत्रित करने हेतु एक नियामक प्राधिकरण बने, जो समय–समय पर विभिन्न इलाजों के लिए उपयुक्त कीमत निर्धारण करने का कार्य करें। आमजन को निजी क्षेत्र द्वारा अनुचित शोषण से बचाने के लिए यह एक जरूरी कदम होगा।

'शून्य-वर्ष' घोषित हो साल 2020

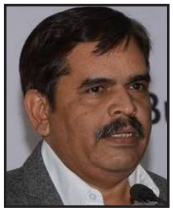

कभी–कभी, हम एक ऐसी कालावधि में होते हैं जिसे हम भूल जाना चाहते हैं। साल 2020 भी ऐसा ही साल है। आईए आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। महामारी से नए सबक सीखते हुए, 2020 को पीछे छोड़ते हुए, एक बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

अर्थशास्त्री इन दिनों कोरोना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नुकसान की गणना में व्यस्त हैं। भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने जुलाई और सितंबर, 2020 के बीच जीडीपी में 15.7 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) के संकुचन की गणना की है। इससे पहले सीएसओ ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (यानी अप्रैल से जून 2020) में जीडीपी के संकुचन का अनुमान 23.9 प्रतिशत लगाया था। भारत सरकार के पिछले मुख्य सांख्यिकीविद्, प्रोनाब सेन ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष (2020–21) में भारत की जीडीपी में में लगभग 10 प्रतिशत का संकुचन हो सकता है, और उनके अनुसार वृहद आर्थिक स्थिति बहुत अनिश्चित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालांकि, 2020–21 में सकल घरेलू उत्पाद के इस संकुचन को 7.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है।

जीडीपी में इस संकुचन के कारण को समझने के लिए किसी रॉकेट विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं कि किसी देश की जीडीपी उस देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जो कि आम तौर पर एक वर्ष के लिए मापी जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियां विशेष रूप से विनिर्माण और सेवाएँ इस वर्ष बुरी तरह से प्रभावित हुई और महामारी के कारण लोगों की आवाजाही कम हो गई है, जीडीपी में यह गिरावट स्वाभाविक ही थी। केवल कृषि क्षेत्र ही ऐसा था जो इस महामारी से प्रभावित नहीं हुआ। पिछली दो तिमाहियों में कृषि में 3.4 प्रतिशत (दोनों तिमाहियों) की सकारात्मक संवृद्धि हुई है, जबकि विनिर्माण में 39.3 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार ने क्रमशः 47 प्रतिशत और 15.6 प्रतिशत का संकुचन आया।

तीसरी तिमाही में, आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, और हम कई वस्तुओं में विनिर्माण में पुनः प्रवर्तन देख रहे हैं। एक ओर मांग बढ़ने लगी है, वहीं कई अड़चनें भी दूर हो रही हैं। उपभोक्ता मांग का एक संकेतक यात्री वाहन की बिक्री है, जहां हमें पिछले साल

नवंबर की तुलना में नवंबर 2020 में 4. 7 प्रतिशत की वृद्धि देख रहे है। पिछले साल नवंबर की तुलना में नवंबर 2020 में ऋण की मांग में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम पाते हैं कि खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) पिछले चार महीनों से सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों दोनों के लिए 50 से ऊपर है और अक्टूबर पीएमआई 58.9 पर दर्ज किया गया था, जो 13 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि है। हालाँकि, यह नवंबर 2020 में 56.3 तक कम हो गया है, हम यह निष्कर्ष अवश्य निकाल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग चार महीनों के गंभीर आर्थिक संकट के बाद चमक वापिस आ रही है।

जहां एक ओर स्वास्थ्य समस्या (महामारी) थी और दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और इसलिए रोजगार का नुकसान हुआ। सरकारी वित्त भी बहुत खराब हालत में था। एक ओर आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण राजस्व में गिरावट आ रही थी दूसरी ओर, सरकार पर समाज के गरीब वर्गों के कल्याण पर अधिक खर्च करने का भारी दबाव भी था। नवंबर 2020 तक, सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान कर रही थी, जो आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए विस्तृत बूस्टर पैकेज लेकर आई है। उनमें सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) और इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार क्षेत्रों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने लाभकारी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन और विभिन्न वस्तुओं में आयात प्रतिस्थापन की योजनाएं भी पेश की हैं। सभी ने सरकारी वित्त पर भारी दबाव डाला है, लेकिन साथ ही इसने महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी दिया है।

अर्थव्यवस्था में लौट रही चमक

आर्थिक विश्लेषक एकमत हैं कि अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनरुद्धार हो रहा है। हालांकि, पुनः प्रवर्तन के आकार के बारे में अलग–अलग विचार हैं। जबकि, आधिकारिक दृष्टिकोण यह है कि अर्थव्यवस्था वी–आकार से बेहतरी की ओर बढ़ रही है, जबकि कुछ अन्य लोग यू आकार के पुनः प्रवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं (थोड़ी देर के लिए स्थिर और फिर ठीक होने वाली अर्थव्यवस्था) या डब्ल्यू आकार (पहले ऊपर जाकर फिर डुबकी लेने के बाद, फिर से उठना) पुनः प्रवर्तन। हालांकि, सर्वसम्मति यह है कि पुनः प्रवर्तन का आकार जो भी हो, अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से ठीक होने जा रही है।

पुनः प्रवर्तन का एक कारण, जो हो सकता है, वह है मांग में तेजी। महामारी के अधीन आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के कारण जो मांग गायब हो गयी थी है, वह वापिस आ रही है।

दूसरा, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के कारण सुधार अपेक्षा से अधिक तेजी से हो रहा है।उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था को महामारी से संबंधित आर्थिक नुकसान से बाहर लाने और आत्मानिभर भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 20 लाख करोड़ रुपये का एक बेलआउट पैकेज दिया गया है।

तीसरा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की नई नीति ने विशेष रूप से चीन से आयात को हतोत्साहित करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है।

चौथी बात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम पाते हैं कि रिकवरी उम्मीद से ज्यादा तेज रही है। माना जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी से आर्थिक सुधार और महामारी संबंधी बेरोजगारी में कमी हो सकती है।

महामारी वर्ष हो शून्य वर्ष घोषित

इस तथ्य को देखते हुए कि दुनिया ने एक सदी से अधिक समय के बाद एक महामारी देखी है और स्थिति कुछ ऐसी नहीं है जो सामान्य हो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास जैसे ही उसके संकुचन को देखना विवेकपूर्ण नहीं होगा। बेहतर तरीका यह है कि इस महामारी वर्ष को 'शून्य वर्ष' मान लिया जाए और वर्ष 2019–20 से जीडीपी वृद्धि की गणना करें, और वर्ष 2020–21 को छोड़ ही दें।

कभी–कभी, हम एक ऐसी कालावधि में होते हैं जिसे हम भूल जाना चाहते हैं। साल 2020 भी ऐसा ही साल है। आइए आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। महामारी से नए सबक सीखते हुए, 2020 को पीछे छोड़ते हुए, एक बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। आइए, ग्रामीण स्तर पर डेयरी, पोल्ट्री, बागवानी, फ्लोरीकल्चर, बांस की खेती, कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, उच्च मूल्य वाली फसलों और ग्राम स्तर पर अधिक और मूल्य वर्धन के साथ रोजगार सृजन करते हुए आत्मनिर्भर गांवों के एक नए युग में प्रवेश करें। एक नयी व्यवस्था बनाएँ जिसमें हमारी ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं हों। अपना देश मैन्युफैक्चरिंग में, चीन या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं हो। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विश्व स्तर का सामान बनाएँ, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, शून्य दोष और शून्य (पर्यावरण) प्रभाव के साथ। चीन से मोहभंग होने के बाद, पूरी दुनिया एक विकल्प के रूप में भारत की ओर देख रही है। आइए सब मिलकर इस संकट को अवसर में बदल दें। ❑❑

नए दशक ने दी दस्तक

फिर से चल निकला बाजार

वर्ष 2021, यहां से न सिर्फ एक नए साल की शुरुआत हो रही है, बल्कि एक नया दशक भी शुरू हो रहा है। इतिहास के गर्भ में जा चुका वर्ष 2020 सारी दुनिया के साथ–साथ भारत को भी कुछ कटु अनुभव और कड़वी यादें देकर गया। बीते साल कोविड–19 की महामारी ने लोगों को घरों में कैद रहने के लिए विवश कर दिया था। अर्थव्यवस्था धराशाई हो गई। गुजरे साल ने जो असर छोड़ा है उससे उबरने में हालांकि समय लगेगा, लेकिन नए साल में तमाम उम्मीदें जगाई है। पहली उम्मीद तो यही है कि कोरोना संक्रमण को काबू में करने वाली स्वदेशी वैक्सीन अब हर व्यक्ति तक पहुंचने के करीब है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वापसी का संकेत देने लगी है। सरकार के राहत पैकेजों ने अर्थव्यवस्था को घुटने पर नहीं आने दिया। वर्ष 2008 की मंदी की तरह इस बार भी भारत का कृषि क्षेत्र हर आपदा में संबल बनकर हिमालय की तरह खड़ा रहा।

संकट, हमें नए तरीके तलाशने के मौके देते हैं। भंवर में फंसी अर्थव्यवस्था से निकलने का रास्ता दुनिया को भले ही न मिल रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने रिकवरी की राह खोज ली है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का काम शुरू को गया है। हालांकि मंजिल अभी लंबी है। मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था का आकार कृषि, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जैसे कई अन्य विषयों से तय होता है। कोरोना के चलते इन सेक्टरों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके इंतजाम शुरू हो गए हैं।

प्रधानमंत्री की पहल पर 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान इस दिशा में एक अचूक हथियार की तरह धीरे–धीरे सामने आ रहा है। 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र से बुनियादी बदलाव के संकेत भी मिलने लगे हैं। इस दिशा में पिछले साल के आखिरी महीने की उपलब्धियों की ही बात करें तो 'सिरम इन्स्टीटयूट' के जरिए देश में ही कोविड–19 की वैक्सीन की तैयारी के साथ–साथ निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन को तैयार कर लेना, नए भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। देश का पहला डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो और स्वदेशी आकाश मिसाइल की बढ़ती डिमांड ने आत्मनिर्भर हो रहे देश को अब दुनिया में एक नई पहचान दी है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की गरज से कृषि संबंधित तीन कानून भी संसद द्वारा पारित किए गए हैं। हालांकि इस बिल को लेकर कई एक किसान

कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर लेने के साथ–साथ, देश का पहला डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो और स्वदेशी आकाश मिसाइल की बढ़ती डिमांड ने आत्मनिर्भर हो रहे देश को अब दुनिया में एक नई पहचान दी है।
– अनिल तिवारी

संगठनों के मन में शंकाएं हैं। सरकार संशोधनों के जरिए इन शंकाओं को दूर करने का प्रयास कर रही है।

केंद्र की सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। सरकार ग्राम पंचायतों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर खोलने (जहां युवाओं को गांव में ही प्रशिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम किया जाएगा), पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी तरह महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। लघु और कुटीर उद्योगों के साथ–साथ एमएसएमई सेक्टर पर भी विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। सरकार ने इस बाबत पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसका असर वर्ष 2021 में जरूर दिखाई देने वाला है।

आत्मनिर्भर अभियान के इसी पक्ष को प्रधानमंत्री मोदी विश्व कल्याण के लिए भारत के भविष्य का मार्ग कहते हैं, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि पिछले एक पखवाड़े में चाहे एसोचैम की स्थापना का समारोह हो या शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह या फिर साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने हर मौके पर आत्मनिर्भर अभियान को विश्व गुरु बनने के भारत के सपने की बुनियादी जरूरत बताया है।

अर्थव्यवस्था के जटिल ताने बाने के ढेरों आयाम होते हैं, जिनमें लक्ष्य निर्धारण के साथ–साथ व्यापक रणनीति और उसके सफल क्रियान्वयन पर प्रयास ही लंबे समय में समुचित परिणाम दे सकते हैं। पिछले वर्ष की शुरुआत में जब अर्थव्यवस्था आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही थी तो उसी समय कोरोना आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियां सभी सेक्टरों में लगभग ठप्प हो गई। इससे न केवल आम लोगों का जीवन एवं जीविका प्रभावित हुई, बल्कि कर संग्रह में भी आई कमी के कारण केंद्र एवं राज्य सरकारों की आय पर भी व्यापक असर पड़ा। इस संकट ने अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति दोनों को बुरी तरह से प्रभावित किया। परिणामस्वरूप 2020–21 की पहली तिमाही में जीडीपी पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत कम हो गई। हालांकि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकतर सेक्टरों में सुधार के संकेत से अच्छी उम्मीद बंधी है। लेकिन इस साल से शुरू हुए दशक में विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की रणनीति पर व्यापक काम करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जरूरत है कि नए साल के साथ–साथ आने वाले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की रणनीति पर नीतिगत स्पष्टता हो, जो अर्थव्यवस्था की जरूरतों के ऊपर व्यापक शोध पर आधारित हो और उस पर सकारात्मक रूप से चर्चा हो।

तात्कालिक प्रयास के तहत अर्थव्यवस्था में निवेश और मांग को बढ़ाने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए घरेलू कारकों के साथ ही बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों से भी निपटने की जरूरत है। मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था में रोजगार और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च में वृद्धि के रूप में राजकोषीय विस्तार और उसमें मौद्रिक नीति की सक्रिय सहभागिता तत्कालिक संकट से निकलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि इन सबके बीच ऐसे प्रयास इतने सीमित जरूर होने चाहिए कि अर्थव्यवस्था को आगामी समय में अनियंत्रित राजस्व घाटे और मुद्रास्फीति को संकट में न ले जाएं।

वस्तुतः किसी भी देश की दीर्घकालिक आर्थिक विकास की उपलब्धियां मूलतः ज्ञान आधारित समाज के निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के स्थाई विकास में शोध और उत्पादकता की अहम भूमिका होती है और इसको बढ़ाने के लिए लंबे समय तक मानव संसाधन के विकास की योजना पर सतत् प्रयास करने की जरूरत होती है। देश का समेकित विकास, जिसमें असमानता कम करते हुए आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर बहुत अधिक निवेश की जरूरत है।

ज्ञात हो कि दुनिया संक्रमण के साथ–साथ चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि भारत अभी आर्थिक रूप से दुनिया का नेतृत्व नहीं कर रहा है, लेकिन भारत को यह बताना होगा कि हम चीन की तरह कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था नहीं बनना चाहते, बल्कि नए मूल्यों वाली उपयोगी, नए प्लेटफार्म बनाने वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में एक अरब लोगों के डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल कैश सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी और सलूशन आदि मौजूद हैं और हमारे पास चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ने के साथ–साथ दुनिया के नॉलेज हब बनने में सफलता अर्जित करने की दक्षता और क्षमता दोनों मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक अरब से ज्यादा लोगों का बाजार हैं और दुनिया को इस बाजार की जरूरत है।

केंद्र की सरकार ने पहले ही यह संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर हमें पुराने से हटकर नवोन्मेष की तरफ भी बढ़ना होगा। रिजेक्ट, रिवाइव और इनोवेट का तरीका अपनाकर काफी कुछ सुधार किया जा सकता है। इस महामारी ने हमें ठहरकर सोचने का समय दिया है कि हम देश और दुनिया की बेहतरी के लिए क्या–क्या योगदान कर सकते हैं। नववर्ष और नए दशक ने हमें आवाज दी है, तो आईए एक नई सकारात्मक सोच और बेहतर उम्मीद के साथ आगे बढ़े। ❑❑

सुपर पावर बनने की दौर में कहां खड़ा है भारत

कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? कौन सुपर पावर बनेगा, किसकी अर्थव्यवस्था तबाह होगी? यह बहस विभिन्न मंचों पर चल रही है। चीनी अर्थशास्त्री विशेषकर इस बहस को हवा दे रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इस दशक के अंत तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र होगा। ब्रिटेन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च का दावा है कि कोविड पर जल्दी काबू पाने के कारण चीन 2028 तक अमरीका और यूरोप से बहुत आगे निकल जाएगा। इसी संस्था ने यह भी भविष्यवाणी की है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी सुपर पावर बनने की दौर में भारत भी पीछे नहीं है।

दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था पर नजर डाले तो पाएंगे कि अभी भी अमेरिका 21.43 खरब डॉलर की जीडीपी के साथ बाकी सभी देशों के मुकाबले काफी आगे है। चीन अभी भी अमेरिकी जीडीपी के मुकाबले लगभग आधे 14.34 खरब डॉलर की जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी आकड़े का आकलन यदि प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ करें तो पाएंगे कि अमेरिका चीन से मीलों आगे है। अमेरिका का प्रतिव्यक्ति जीडीपी 65,298 डॉलर है तो चीन का प्रति व्यक्ति जीडीपी 10,262 डॉलर है। जापान और जर्मनी भी प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में चीन से बहुत आगे हैं। जापान का प्रतिव्यक्ति जीडीपी 40,247 डॉलर है तो जर्मनी का 46,445। इन्हीं आकड़ों को भारत के संदर्भ में देखें तो तस्वीर ज्यादा चमकदार नहीं लगती। भारत का जीडीपी 2.87 खरब डॉलर का है और प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 2,100 डॉलर है। यानी सुपर पावर बनने की दिशा में भारत को अभी भी लंबा सफर तय करना है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत उसकी टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर है। फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल एवं बिजनेस सर्विसेज उसकी जान है। अमेरिका एक खुली अर्थव्यवस्था है, जहां पूरी दुनिया से निवेश आता है। दुनिया की प्राइम करेंसी डॉलर होने के कारण अमेरिका अपने कर्जे को ठीक ढंग से संभाल पाता है। आर्थिक पावर के साथ–साथ दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर होने के कारण भी अमेरिका सुपर पावर के रूप में अपनी बादशाहत बरकरार रखने में कामयाब रहा है। लेकिन धीरे–धीरे अमेरिका

भारत युवाओं का देश है और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से स्थिर भी। भारत के पास अवसर भी है और संभावनाएं भी, चीन और अमेरिका की तरह आर्थिक महाशक्ति बनने का।
– विक्रम उपाध्याय

अब कई चुनौतियों से घिर भी गया है। सामाजिक रोष अमेरिका में बहुत बढ़ गया है। रूस और चीन से उसे आर्थिक और सामरिक टक्कर मिल रही है।

चीन ने पिछले चार दशक में काफी तरक्की की है। जीडीपी के मामले में दुनिया का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बन चुका है और वह अमेरिका को पीछे छोड़ने की होड़ में पूरी तरह शामिल हो चुका है। चीन, कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में पूरी दुनिया में आगे निकल चुका है। वह इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पर कोविड के कारण उसकी चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। रूस को छोड़ दुनिया के सभी बड़े देशों का चीन के प्रति रूख नकारात्मक हो गया है। अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और भारत के साथ लगभग उसकी दुश्मनी हो चुकी है। जाहिर है कि चीन का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया चीन को शक की नजर से देख रही है, और यही उसके सुपर पावर बनने में बहुत बड़ी बाधा बनने वाली है।

चीन की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत दबाव में है। कई साल तक लगातार दो अंकों में वृद्धि दर हासिल करने वाला चीन अब पिछड़ रहा है। कोविड से पहले भी चीन की पिछले तीन साल में औसत वृद्धि दर 6 प्रतिशत की रही। हालांकि चीन यह दावा कर रहा है कि कोविड पर जल्दी काबू पाने के कारण वह दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसकी पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। चीन ने दावा किया है कि 2020–21 में उसकी वृद्धि दर 7 प्रतिशत से भी अधिक होगी। लेकिन कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई हैं जिनसे पता चलता है कि चीन के उद्योग बहुत दबाव में हैं। अमेरिका से सीधी टकराव के कारण चीन का निर्यात बहुत प्रभावित हुआ है और अब चीन घरेलू उपभोग को ध्यान में रखकर अपनी अर्थव्यवस्था का संयोजन कर रहा है। यदि अमेरिका की बाइडन सरकार भी चीन के प्रति पुराना रूख बरकरार रखती है और ट्रेड वार जारी रहता है तो चीन का सुपर पावर बनने का अवसर कमतर होता जाएगा।

सुपर पावर अमेरिका बना रहे या चीन उसका स्थान ले ले, पर इतना अवश्य है कि भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी एक अलग धाक और पहचान बनी रहेगी

तो क्या भारत की स्थिति चीन से बेहतर है? क्या भारत के पास सुपर पावर बनने की क्षमता और संभावना है? हाल के वर्षों में भारत अधिक उदारवादी अर्थव्यवस्था बन गया है। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख एजेंसियों और अध्ययन संगठनों ने भारत के विकास का पूर्वानुमान सकारात्मक बताया है। हालांकि मार्च 2020 की शुरुआत में ही कोविड के आ जाने के बाद भारत का जीडीपी विकास दर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में भारत एक आशावाद देश के रूप में शामिल है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020–21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 9 प्रतिशत का संकुचन आएगा, लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी और अंततः 2021 में भारत 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा।

भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बेहद सक्रिय और कुछ हद तक उतावले भी हैं। 2025 तक भारत को पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का उनका पहला लक्ष्य सामने है। उसको हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई सुधार कानूनों को लागू किया है। जिनमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 29 असमान और कभी–कभी विरोधाभासी श्रम कानूनों की जगह चार अधिक सुसंगत कानून, 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कृषि उपज, अनुबंध कृषि और परिवहन, भंडारण, कीमतों और वितरण पर नियंत्रण के कानून, रक्षा, नागरिक उड्डयन, रेलवे, कोयला, खनन और ई–कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने के लिए सुधारों की घोषणा, जीएसटी और कॉर्पोरेट कर में कमी शामिल हैं।

सुपर पावर अमेरिका बना रहे या चीन उसका स्थान ले ले, पर इतना अवश्य है कि भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी एक अलग धाक और पहचान बनी रहेगी, क्योंकि भारत कई क्षेत्रों में अभी से ही बढ़त बनाए हुए है। 120 करोड़ ग्राहकों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। चीन के बाद उपभोक्ता बाजार भारत से बड़ा कोई और नहीं है। खाद्यान्न के मामले में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है। भारत दुनिया का एक मजबूत मिलिट्री पावर है। वायु सेना की सूची में चौथे, नौसेनाओं की सूची में 7वें, थल सेना रैंकिंग में भी भारत चौथे स्थान पर है। भारत अब दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और कई देशों को हथियार निर्यात भी कर रहा है। इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या स्पेश साइंस अब भारत का नाम बड़े देशों में लिया जाता है।

भारत युवाओं का देश है और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से स्थिर भी। भारत के पास अवसर भी है और संभावनाएं भी, चीन और अमेरिका की तरह आर्थिक महाशक्ति बनने का। ❑❑

स्वदेशी से बनायें समृद्ध व समर्थ भारत

स्वदेशी की भावना ही देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समुत्कर्ष एवं प्रगति का आधार और राष्ट्र भक्ति की साकार अभिव्यक्ति कही जा सकती है। देश की आर्थिक प्रगति की दृष्टि से अपने देश में बिकने वाली सभी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन देश में ही होने पर ही देशवासियों के लिए रोजगार का सृजन, नियमित आय की प्राप्ति और सरकार के लिए कर राजस्व में वृद्धि सम्भव है। इसलिए, देश के आर्थिक स्वावलम्बन, समावेशी आर्थिक विकास और नागरिकों के लिए अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करना सम्भव होगा। यह सब स्वदेशी अर्थात समाज में आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या आर्थिक देशप्रेम से ही सम्भव है। स्वदेशी की दृष्टि से केवल 'मेड इन इण्डिया' लिखा होने से ही किसी वस्तु या ब्राण्ड को स्वदेशी कदापि नहीं कहा जा सकता है। अधिकांश विदेशी ब्राण्डों के उत्पादक अपने सारे साज–सामान विदेशों से लाकर यहाँ उन्हें केवल एसेम्बल करते हैं। इसलिए स्वदेशी से आशय पूर्ण स्वदेशी या मेड बाई इण्डिया से ही होना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्वदेशी की भावना केवल मात्र वस्तुओं व सेवाओं के क्रय तक ही सीमित नहीं होकर भाषा, वेशभूषा, भोजन, भैषज्य, जीवन शैली, पारिवारिक संस्कार व आचार–विचार आदि सभी में परिलक्षित होनी अनिवार्य है। विदेशों से आयातित वस्तुओं को क्रय करते चले जाने से देश में बेरोजगारी, उद्यम करना पड़ता है। दूसरी ओर देश में कार्यरत विदेशी कम्पनियों की वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करते चले जाने से भी देश के उत्पादक उद्योग, व्यापार व वाणिज्य विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व में जाते है और उनके लाभ देश से बाहर जाते हैं।

हम शत प्रतिशत उत्पाद व ब्राण्ड, जहाँ तक भी उपलब्ध हैं, केवल 'मेड बाई भारत' उत्पाद व ब्राण्ड अपना लेंगे तो भारत स्वावलंबन पूर्वक विश्व में आर्थिक व प्रौद्योगिकी की दृष्टि से क्रमांक एक का देश बन पुनः विश्व गुरु बन सकेगा।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

महाद्वीपीय लक्षणों से युक्त राष्ट्र

भारत एक महाद्वीप के लक्षणों से युक्त और अपार सम्भावनाओं वाला देश है। हमारी 135 करोड़ जनसंख्या समग्र यूरोप के 50 देशों व 26 लेटिन अमेरिकी देशों की संयुक्त जनसँख्या के बराबर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत, चीन के बाद विश्व की सर्वाधिक 17.6 प्रतिशत होने के बाद भी युवाओं की संख्या विश्व की सर्वोच्च 20 प्रतिशत है। विश्व की सर्वोच्च कृषि योग्य भूमि के साथ ही सर्वाधिक विविधता पूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र और

सर्वाधिक सूक्ष्म व लघु उधमों से युक्त देश होने से वैश्विक आर्थिक नेतृत्व करने में सर्वाधिक समर्थ देश है। भारत विश्व का विशालतम आणविक शक्ति सम्पन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र होने के साथ ही अन्तरिक्ष विज्ञान व मिसाईल प्रौधोगिकी विकास के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी देशों में है।

चिन्ताजनक आर्थिक परावलम्बन

विश्व की 17.7 प्रतिशत जनसंख्या व विश्व की सर्वोच्च 20 प्रतिशत युवा जनसंख्या युत देश का आज वैश्विक महानुमाप उत्पादन अर्थात वर्ल्ड मेन्यूफैक्चरिंग में मात्र 3 प्रतिशत अंश है। इस 3 प्रतिशत उत्पादन अंश में भी दो तिहाई से अधिक उद्योग विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वामित्व एवं नियन्त्रण में हैं और देश के उधोग, व्यापार एवं वाणिज्य पर विदेशी कम्पनियों का यह स्वामित्व व नियन्त्रण तेजी से बढ़ भी रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण अधिकांश भारतीय उपभोक्ताओं अर्थात देश की जनता द्वारा विदेशी ब्रान्डों को क्रय किया जाना। यदि हम आयातित या देश में भी विदेशी कम्पनियों द्वारा उत्पादित विदेशी ब्रान्डों को ही क्रय करेंगे तो यह आर्थिक परावलम्बन बढ़ेगा। दूसरा कारण वैश्वीकरण की मृग मरीचिकावश सरकारों द्वारा विगत 30 वर्षों में अपनायी आयात उदारीकरण व विदेशी निवेश प्रोत्साहन की नीतियाँ। वस्तुएँ चाहे आयातित हों या विदेशी कम्पनियों द्वारा 'मेक इन इण्डिया' के नाम पर अपने हिस्से–पुर्जे व साज सामान बाहर से लाकर यहाँ एसेम्बल कर 'मेड इन इण्डिया' लेबल लगाकर बेचीं जाने वाली वस्तुएँ–ये सभी विदेशी ही कहलाएंगी। केवल 'मेड बाई भारत' वस्तुयें ही स्वदेशी कही जा सकती हैं।

उदारीकरण के दुष्प्रभावः

उदारीकरण के पूर्व वर्ष 1991–92 में देश का विदेशी व्यापार घाटा मात्र 1.

वस्तुएँ चाहे आयातित हों या विदेशी कंपनियों द्धारा 'मेक इन इण्डिया' के नाम पर अपने हिस्से-पुर्जे व साज सामान बाहर से लाकर यहाँ एसेंबल कर 'मेड इन इण्डिया' लेबल लगाकर बेचीं जाने वाली वस्तुएँ-ये सभी विदेशी ही कहलाएंगी। केवल 'मेड बाई भारत' वस्तुयें ही स्वदेशी कही जा सकती हैं।

6 अरब डालर का था, जो आयात उदारीकरण के परिणाम स्वरूप 2018–19 तक सौ गुना बढ़कर 160 अरब डालर पर पहुँच गया। व्यापार घाटे में वृद्धि के कारण हमारे रूपये की कीमत 1991–92 की 18 रूपये की तुलना में गिरकर 76 रूपये बराबर एक डालर रह गयी। विदेशी निवेश प्रोत्साहन से शीतल पेय से लेकर टी.वी., फ्रिज व अधिकांश उत्पादों के उत्पादन में विदेशी कम्पनियों का अंश लगभग तीन चौथाई हो गया। इसके परिणामस्वरूप देश में 40 अरब डालर का घाटा निवेश आय में और जुड़ जाता है। इससे व्यापार व निवेश का घाटा कुल मिलाकर 200 अरब डॉलर हो जाता है।

जापान आदि जैसी आर्थिक राष्ट्र निष्ठा अर्थात स्वदेशी भाव आवश्यकता

देश में आज जापान, ताईवान, कोरिया, चीन, यूरोप व अमेरिका जैसी आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा आवश्यक है। जापान की उच्च आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा अर्थात स्वदेशी से उच्च लगाव के कारण, विश्व की मात्र 1.6 प्रतिशत जनसंख्या होने पर भी वर्ल्ड मैनुफैक्चरिंग में जापान का अंश 10 प्रतिशत है। जापान में उच्च आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा अर्थात देश व स्वदेशी के प्रति प्रेमवश 96 प्रतिशत स्वदेशी या मेड बाई जापान कारें ही बिकती है। सामन्य उपभोक्ता उत्पादों से लेकर सभी प्रकार के साज–सामान जब तक स्वदेशी उपलब्ध होते है तब तक कोई जापानी नागरिक विदेशी ब्राण्ड के स्थान पर 'मेड बाई जापान' उत्पाद व ब्राण्ड ही खरीदते है। उस उत्पादन अनुभव से ही व विश्व स्तरीय उत्पाद उत्पादित कर विश्व भर में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुए हैं। दूसरी ओर हमारे देश में केवल 13 प्रतिशत (टाटा व महिन्द्रा की) स्वदेशी कारें बिकती है और 87 प्रतिशत कारें विदेशी बिकती हें। भारत के वर्ल्ड मैनुफैक्चरिंग में मात्र 3 प्रतिशत अंश की तुलना में चीन का अंश 28 प्रतिशत होने से चीन का सकल घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय भारत से पांच गुनी है। सिंगापुर, जिसकी तुलना में भारत का क्षेत्रफल 5200 गुना व जनसंख्या 234 गुनी है। लेकिन, सिंगापुर के उच्च प्रौधोगिकी सम्पन्न निर्यात (हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स) भारत की तुलना में 7.5 गुने है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्पात उत्पादक देश है। तब भी जहाज निर्माण में भारत का अंश एक प्रतिशत से भी कम है। कोरिया की जनसंख्या व क्षेत्रफल भारत की तुलना में 5 प्रतिशत ही होने पर भी वर्ल्ड शिप बिल्डिग में उसका अंश 20 प्रतिशत से अधिक है। उपरोक्तानुसार वर्ल्ड मैनुफैक्चरिंग में भारत का अंश 3 प्रतिशत होने के साथ ही आज हमारे देश के अधिकांश अर्थात तीन चौथाई से भी अधिक उत्पादन तंत्र पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वामित्व व

नियन्त्रण है। हमें भारत के आर्थिक व तकनीकी स्वावलम्बन के लिए हमें 'मेड बाई भारत' या 'मेड बाई इण्डिया' उत्पाद ब्राण्डों को ही क्रय में प्राथमिकता देकर अपनी आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा बढ़ानी होगी।

स्वदेशी अर्थात 'मेड बाई भारत' उत्पाद व ब्राण्ड

विश्व के महानुमाप उत्पादन अर्थात वर्ल्ड मैनुफेक्चरिंग में चीन के 28 प्रतिशत अंश के सामने समरा अंश मात्र 3 प्रतिशत होने का प्रमुख कारण है, भारत में अधिकांश उपभोक्ताओं अर्थात जनता द्वारा अपनी आवश्यकता व उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के क्रय में विदेशी उत्पादों व ब्राण्डों को प्राथमिकता दिया जाना है। वस्तुतः चीनी, अमरीकी, यूरोपीय, जापानी व कोरियाई कम्पनियों द्वारा 'मेक इन इण्डिया' के नाम पर आयातित साज सामानों को जोड़कर अपने उत्पाद एसेम्बल कर उन पर 'मेड इन इण्डिया' लिख दिया जाता है। वे भी विदेशी उत्पाद ही कहलाएंगे जो भारतीय निर्माताओं द्वारा उत्पादित 'मेड बाई भारत' उत्पाद व ब्राण्ड हैं, वे ही स्वदेशी कहलाते हैं। हीरो की बाइक या स्कूटर या बजाज टीवीएस मेड बाई भारत है। होण्डा के स्कूटर, बाइक व कारों पर चाहे मेड इन इण्डिया लिखा हो वे विदेशी कहलाएंगे। फिलिप्स के बल्ब, ट्यूब लाईट व प्रेस आदि पर मेड इन इण्डिया लिखा होने पर भी ये विदेशी कहलाएंगे। फिलिप्स हॉलेंड की कम्पनी है। बजाज, सूर्या, अजन्ता, हेवल आदि के उत्पादक स्वदेशी कम्पनियाँ होने से उनके उत्पाद "मेड बाई भारत" उत्पाद हैं। 'मेड बाई भारत' उत्पादों व ब्राण्डों को अपना कर उत्पादन में जितनी अधिक भागीदारी ही स्वदेशी वस्तुओं व ब्राण्डों की बढ़ायेंगे उतना ही अधिक से अधिक घरेलू उत्पादन बढ़ाते हुए रोजगार का सृजन कर हम, देश के सकल घरेलू उत्पाद राजस्व, लोगों की आय व मांग

देश के बाजारों में आज चीनी वस्तुओं की भरमार से, जहाँ देश के बहुतांश उद्योगों के बन्द होने से हम बेरोजगार व बैंकों को नॉन परफार्मिंग एसेट्स का सामना करना पड़ रहा है, वहीं देश का विदेश व्यापार घाटा भी असहनीय हो रहा है।

में भी उसी अनुपात में वृद्धि कर सकेंगे। ऐसी उत्पादन वृद्धि से ही सरकार के राजस्व की आय में वृद्धि होगी, व्यापार घाटे पर नियन्त्रण हो सकेगा और उससे रुपया भी सुदृढ़ होगा और इसके परिणामस्वरूप देश में उन्नत प्रोधौगिकी का विकास हो सकेगा। देश के बाजारों में आज चीनी वस्तुओं की भरमार से, जहाँ देश के बहुतांश उद्योगों के बन्द होने से हम बेरोजगार व बैंकों को नॉन परफार्मिंग एसेट्स का सामना करना पड़ रहा है। देश का विदेश व्यापार घाटा भी असहनीय हो रहा है।

चीन पर निर्भरता अनुचित :

पिछले वर्ष भारत का चीन के साथ 54 अरब डॉलर का विदेश व्यापार घाटा था एवं वर्ष 2017–2018 में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 63 अरब (4.5 लाख करोड़ रूपये) का रहा है। भारत लगभग 90 अरब डॉलर (7 लाख करोड रूपये) का आयात करता रहा है। इस प्रकार भारत के साथ शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त चीन 7–10 लाख करोड़ रुपयों से आर्थिक सशक्तिकरण करना एक गम्भीर आत्मघाती कदम है। 1986 में भारत की प्रतिव्यक्ति आय चीन की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक थी और क्रय क्षमता साम्य (परचेजिंग पॉवर पेरिटी) के आधार पर भारत की प्रतिव्यक्ति चीन से 20 प्रतिशत अधिक थी। आज चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में पांच गुनी हैं। आज हमारे इलेक्ट्रानिक आयात लगभग 45 प्रतिशत, मशीनरी आयात 35 प्रतिशत, कार्बनिक रसायन 40 प्रतिशत, मोटर वाहन स्पेअर्स और उर्वरक 25 प्रतिशत, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री 65–70 प्रतिशत और मोबाइल के साज सामान 90 प्रतिशत व सोलर पेनल चीन से आते हैं। भारत को विविध उत्पादों व ओधोगिक आदायो की आपूर्ति में चीन पर निर्भरता समाप्त करनी होगी। देश में साधारण कैल्कुलेटर, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी सेट जैसे उपभोक्ता उत्पादों से लेकर टेलीफोन एक्सचेंज और सौर पैनल तक अनेक साज सामान चीन से आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में देश की कुल मांग के लगभग 50 से 90 प्रतिशत तक चीनी ब्राण्डों पर निर्भरता उचित नहीं है।

भारत की सामर्थ्य :

देश के पास 16 करोड़ हेक्टर कृषि योग्य भूमि एवं विश्व का सर्वाधिक 6.8 करोड़ हेक्टर, सिंचित क्षेत्रफल है। देश को प्रतिवर्ष हिमपात व वर्षा से कुल 40 करोड़ हेक्टर मीटर जल प्राप्त होता है। हमारा लगभग 20 करोड़ हेक्टर मीटर जल नदियों में बहकर बिना उपयोग के चला जाता है। उसका अनुकूलतम उपयोग करके हम देश की सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि को सिंचित बना सकते हैं। ऐसे में हम अपने कृषि उत्पादन को चतुर्गुणित कर विश्व की दो–तिहाई (450 करोड़) जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति करने में सक्षम बन विश्व की क्रमांक एक खाद्य शक्ति (फूड पॉवर) बन सकते हैं। किसान की आय दो गुनी भी हो जाने पर वह उस आय से बाजार से उत्पादकीय उधोगों का माल प्रचुरता में खरीदेगा–यथा बर्तन, पंखा, फ्रिज, स्कूटर, टीवी, वस्त्रादि सम्मिलित हैं। उससे देश

में औधोगिक, उत्पादन, रोजगार, आय, सरकार का कर राजस्व आदि सभी बढ़ेंगे और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

स्वदेशी की रीति नीति :

भारत के हम 135 करोड़ लोग यदि स्वदेशी अर्थात 'मेड बाई भारत' या भारतीयों अर्थात भारतीय उधमों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ व ब्राण्ड की क्रय करेंगे तो देश में उत्पादन, निवेश, रोजगार, प्रोधोगिकी विकास, आय वृद्धि, मांग वृद्धि, पुनः निवेश व उत्पादन वृद्धि का विकास चक्र गतिमान होगा। यदि विदेशी ब्राण्ड अपनायेंगे तो इसका लाभ उन देशों को जायेगा। इसलिए समावेशी विकास के लिए स्वदेशी विकेन्द्रित नियोजन व उत्पादन और ग्राम विकास पर बल देना होगा। वस्तुतः स्वदेशी व स्वावलम्बन हेतु निम्न प्रयास अनिवार्य हैं –

- स्वदेशी, अर्थात भारतीय उत्पाद या मेड बाई भारत उत्पाद, सेवाएँ व ब्राण्ड ही खरीदना। विदेशी आयातित व विदेशी कम्पनियों के मेड इन इण्डिया उत्पादों को छोड़ देना। चीन में आयातित व चीन के मेड इन इण्डिया ब्राण्ड उत्पाद कतई नहीं खरीदना। चीन मेक इन इण्डिया करने हेतु जो विदेशी निवेश ला रहा है उसे पैर जमाने का अवसर नहीं देना।
- आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या आर्थिक राष्ट्रवाद, तकनीकी राष्ट्रवाद और मेड बाई भारत की रीति–नीति (स्ट्रेटेजी) का प्रसार व संवर्द्धन।
- कृषि व उधोगो में यथेष्ट निवेश बढ़ाना।
- देश की कृषि जैव सम्पदा अर्थात हमारे बीजों व 'नस्लों' का संरक्षण, देश की जैव विविधता का संरक्षण।
- परिवार में सौहार्द पूर्वक सामाजिक समरसता के प्रसार के साथ हमारी राष्ट्र भाषा, मातृभाषा के संरक्षण के साथ–साथ वेशभूषा, आहार व जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखना इस दृष्टि से परिवारों में सकारात्मक व सम्पूरक संवाद व हिन्दी व अपनी मातृभाषा को बढ़ावा अपने पारम्परिक जीवन मूल्यों का दृढीकरण और प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीयता का आत्मगौरव बढ़ाना भी आवश्यक है। इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा, तकनीकी राष्ट्रवाद, मेड बाई भारत को प्रोत्साहन के साथ ही समग्र संस्कृति का संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है।
- कुटीर उधोग, पारम्परिक कलाओं, पारम्परिक खाद्य, गीत, संगीत नृत्य नाटिकाओं का संरक्षण संवर्द्धन।

इस प्रकार यदि हम टूथ पेस्ट, शीतल पेय, जूते के पॉलिश, बल्ब, ट्यूब लाइट, टीबी–फ्रिज, स्कूटर–कार, मोबाइल फोन, केल्कुलेटर व कम्प्यूटर सहित स्कूटर मोटर साइकल व कार पर्यन्त अधिकांश वस्तुओं में स्वदेशी ब्राण्ड या मेड बाई भारत अर्थात स्वदेशी वस्तुएँ ही क्रय करेंगे तो भारत शीघ्र ही विश्व का प्रमुख उत्पादन केन्द्र व अग्रणी आर्थिक शक्ति का स्थान ले सकता है। हमें मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के नाम पर चीनी व विदेशी कम्पनियों द्वारा देश में असेम्बल किये जा रहे उत्पादों के स्थान पर मेड बाई भारत या मेड बाई इण्डिया अर्थात पूर्ण स्वदेशी उत्पादों को ही क्रय करना चाहिए।

निष्कर्ष

अतएवं विकास के लिए स्वदेशी उत्पाद व सेवाएँ अर्थात 'मेड बाई भारत' या 'मेड बाई इण्डिया' को छोड़ कर कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। हम अपनी खरीददारी में विदेशी वस्तुओं व ब्राण्डों का परित्याग कर स्वदेशी वस्तुओँ व उनमें भी रोजगार प्रधान स्थानीय उधोगों व लघु उधोगों की वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान करें। वस्तुतः विकेन्द्रित उत्पादन से ही समावेशी विकास सम्भव है। इसलिए रोजगार प्रधान लघु उधोगों के उत्पाद व ब्राण्ड उपलब्ध नहीं होने पर ही बड़े उधोगों के उत्पाद खरीदें। स्वदेशी उत्पादों या मेड बाई भारत उत्पादों व ब्राण्डों के होते हुए विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एवं विदेशों से आयातित उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार करें। यदि विदेशी कम्पनियों के उत्पाद देश में नहीं बिकेंगे तो वे कुछ माह भी यहाँ नहीं टिक पायेंगी। हम भी देश की आर्थिक समप्रभुता के लिये आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा व्यक्त करते हुए विदेशी वस्तुओं को त्यागकर मेड बाई इण्डिया को बढ़ावा दें। ऐसा करके ही हम स्वयं व हमारी भावी पीढ़ी को आसन्न आर्थिक अराजकता से बचा पायेंगे। आइये हम सब स्वदेशी जागरण मंच के मेड बाई इण्डिया अभियान को सफल बनायें। स्वदेशी वस्तु, सेवाएँ भाषा, भूषा, भोजन, पारिवारिक मूल्य, समरसता की परम्परा, हमारी जैव विविधता, कृषि, पशुधन, पारम्परिक कलाएँ आदि प्रत्येक स्वदेशी आयाम का प्राणप्रण से बल देवें। इसके साथ ही विदेशी वस्तुओं का परित्याग करें और चीनी वस्तुओं को तो भूल कर भी क्रय नहीं करें। हम आज जो कारों में केवल 13 प्रतिशत मेड बाई इण्डिया कारें टाटा व महिन्द्रा की क्रय करते हैं। शेष 87 प्रतिशत कारें विदेशी ब्राण्ड की बिकती हैं। देश में 25 प्रतिशत मेड बाई भारत टिकाऊ घरेलू उत्पाद (टीवी, फ्रिज आदि) बिकते हैं। जूतों के पॉलिश तक में केवल 15 प्रतिशत ही मेड बाई भारत ब्राण्डों के जूता पॉलिश बिक पाते हैं। ऐसी ही स्थति अन्य अनेक उत्पादों में है। बस हम शत प्रतिशत उत्पाद व ब्राण्ड, जहाँ तक भी उपलब्ध हैं, केवल 'मेड बाई भारत' उत्पाद व ब्राण्ड अपना लेंगे तो भारत स्वावलम्बन पूर्वक विश्व में आर्थिक व प्रौधोगिकी की दृष्टि से क्रमांक एक का देश बन पुनः विश्व गुरु बन सकेगा। ❑❑

मेड इन इंडिया बनाम मेड बाय इंडियन

सम्बल व संरक्षण से ही साकार होगा स्वदेशी का सपना

केंद्र की वर्तमान सरकार ने स्वदेशी के प्रति रुचि दिखाते हुए **"आत्मनिर्भर भारत"** के लिए **"वोकल फॉर लोकल"** का नारा दिया है तथा स्थानीय उत्पादों को बढावा देने का आह्वान किया है। यह स्वदेशी उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल है, पर इसके लिए लगे हाथ 'मेड इन इंडिया बनाम मेड बाई इंडिया' को लेकर आम जनता में व्याप्त असमंजस को दूर करने के लिए जागरूकता विमर्श का दायरा बढाना होगा। आम नागरिकों को स्वदेशी में ढ़ालकर ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के निहितार्थों के फलितार्थ हासिल किए जा सकते है।

सवाल है स्वदेशी किसे कहेंगे? इसका सरल जबाव है कि स्वदेश में निर्मित वस्तु को स्वदेशी कहेंगे। जिस प्रकार चीन में निर्मित वस्तु को **मेड इन चाइना**, जापान में निर्मित वस्तु को **मेड इन जापान**, अमेरिका में निर्मित वस्तु को **मेड इन अमेरिका** कहा जाता है, ठीक वैसे ही भारत में निर्मित वस्तु को **मेड इन इंडिया** कहा जाता है। स्वदेशी के लिहाज से क्या मेड इन इंडिया वस्तु स्वदेशी वस्तु कहलाएगी? यह एक बड़ा प्रश्न है, जो वर्तमान संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। शाब्दिक अर्थ से अगर स्वदेशी का अर्थ निकाला जाता है तो ऐसी सभी वस्तुएं जो भारत में निर्मित है, वह स्वदेशी की श्रेणी में आती है। अतः मेड इन इंडिया वस्तुएं स्वदेशी वस्तुएं कहलाएंगी। परंतु आज जब ग्लोबलाइजेशन एवं मुक्त व्यापार के चलते बहुत सारी कंपनियां भारत में आकर के अपने कारखाने लगाकर निर्माण का कार्य कर रही है। "मेक इन इंडिया" के तहत इसको बढावा भी दिया जा रहा है। इन कंपनियों के भारत में उत्पादित सामान पर मेड इन इंडिया ही लिखा जाएगा, तो ऐसे में क्या यह सामान स्वदेशी सामान की श्रेणी में होगा, यह बड़ा एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है?

छोटे–छोटे भारतीय उद्योग बहुत बड़ी ताकत रखते हैं यह इस वर्तमान करोना काल में स्पष्ट हो गया, जब भारतीय छोटे–छोटे उद्योगों ने मास्क बनाने का काम, पीपीई किट बनाने का काम और वेंटिलेटर बनाने का काम भी बहुत ही अल्प समय में करके दिखा दिया।

– डॉ. धर्मेन्द्र दुबे

उदाहरण स्वरूप मोबाइल की बड़ी चाइनीज कंपनियां ओप्पो और वीवो, जो अब तक चीन में मोबाइल का निर्माण करके भारत में मोबाइल बेचती आ रही थीं, उन पर मेड इन चाइना लिखा रहता था, अब इन कंपनियों ने अपने कुछ कारखाने भारत में लगा दिए और मोबाइल के कुछ पार्ट्स चीन से मंगाकर, कुछ भारत में निर्माण कर, उसको असेंबल करने का कार्य भारत में इनके कारखानो में किया जा रहा है। इन मोबाइल पर मेड इन इंडिया लिखकर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो क्या अब तक जिन चीनी कंपनियों के मोबाइलों को चाइना का होने के कारण हम बहिष्कार के रूप में देखते आ रहे हैं, क्या अब भारत में निर्माण कर देने से मेड इन इंडिया लिखा होने से उसे स्वदेशी मानेंगे?

इस संदर्भ में हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्वदेशी पर विचार को देखना होगा। उन्होनें कहा था, **"मैं उन वस्तुओ को जिनका स्वदेश में निर्माण तो किया जाता है, किन्तु उनका सारा लाभ विदेशों को भेज दिया जाता है, स्वदेशी मानने को तैयार नही हूँ"**। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उक्त कथन स्वदेशी बनाम मेड इन इंडिया विषय को स्पष्ट कर देता है।

विदेशी कंपनी द्वारा भारत में आकर सामान निर्माण करके उस पर मेड इन इंडिया टैग लगा देने से उस सामान को स्वदेशी नहीं माना जा सकता। ऐसे में **मेड इन इंडिया स्वदेशी न होकर मेड बाय इंडियन ही स्वदेशी कहलायेगा**। आत्मनिर्भर भारत तभी संभव है जब भारतीय आत्मनिर्भर हो, और भारतीयों के आत्मनिर्भर होने से भारत आत्मनिर्भर हो। मुक्त व्यापार अथवा प्रत्यक्ष

विदेशी निवेश के कारण विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में उत्पादन कर देने से भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा। ऐसे में नए नारों के साथ स्वदेशी की परिभाषा भी आमजन में स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

लोकल वही है जो भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। विदेशी कंपनी अथवा विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित सामान लोकल नहीं हो सकता, यह भी हमें समझना होगा अन्यथा इस महत्वपूर्ण आह्वान का दुरुपयोग विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा आसानी से कर लिया जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे।

वैसे भी स्वदेशी का सीधा संबंध स्वदेश से है। स्वदेश यानी हमारी जन्मभूमि। यही संकल्पना हमारे पौराणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में राम–लक्ष्मण के संवाद में परिलक्षित होती है जिसमें कहा गया है –

अपि स्वर्णमयीलङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।

भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण यद्यपि यह लंका सोने की बनी है, फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का मानना है कि **"देश प्रेम की साकार अभिव्यक्ति है–स्वदेशी"** यदि किसी को अपनी मातृभूमि से प्रेम है अर्थात देश से प्रेम है और उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है तो स्वदेशी को अपनाकर वह देश प्रेम का प्रकटीकरण कर सकता है।

आजादी के बाद भारत से अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजीयत नहीं गई। यही कारण रहा कि हमने विकास के लिए पश्चिम की ओर देखा और हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने अपनी नीतियों में सदैव भारत को गरीब पिछड़ा एवं अविकसित देश के रूप में विश्व में प्रस्तुत किया। *स्वदेशी को अपना गौरव नहीं माना! स्वदेशी को कभी भी गुणवत्तापूर्ण नहीं माना! स्वदेशी का सदैव मजाक उड़ाया! स्वदेशी पर गर्व नहीं किया! स्वदेशी के लिए कभी गम्भीर वकालत नहीं की!* यहां तक कि स्वदेशी अपनाने वाले को हेय दृष्टि से देखा!

यह सब विदेशी कंपनियों का कुचक्र था, जो धीरे–धीरे हमारे मन में घर कर गया। बड़ी कंपनियों को बाजार तभी मिलता है जब उनके खरीदार हों। खरीदारों के मन में लालच पैदा करना ही मार्केटिंग का मूल है। बड़ी विदेशी कंपनियों ने इसी मार्केटिंग व विज्ञापन युग का सहारा लिया और फलते फूलते चले गये। दूसरी तरफ हमने स्वदेशी को अपनाने की बजाय भौतिकवादी दुनिया के चकाचौंध में विदेशी को अपनाना स्वीकार किया जिसका परिणाम यह हुआ कि हम और हमारी स्वदेशी पिछड़ती चली गई। यही कारण है कि आज हमारे पैर तो स्वदेशी हैं लेकिन जूता विदेशी है, दाढ़ी स्वदेशी है और ब्लेड विदेशी है, दांत स्वदेशी है–मंजन विदेशी है।

दूसरी ओर ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पूरे विश्व को एक खुला बाजार बनाने की बड़ी कंपनियों एवं विकसित देशों की चाल में भारत जैसे अनेक विकासशील एवं अविकसित देश फस चुके हैं। इन्हीं बड़ी कंपनियों एवं विकसित राष्ट्रों ने पेटेंट कानून, डब्ल्यूटीओ अर्थात विश्व व्यापार संगठन और इस विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से ट्रिप्स एवं ट्रिम्स जैसे विभिन्न समझौते करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जिसने भारतीय बाजार को विदेशी सामानों से पाट दिया। छोटे घरेलू एवं मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित स्वदेशी सामान इन विदेशी सामानों के आगे नहीं टिक पा रहा है। भारतीय अपने आप को एक स्वतंत्र उपभोक्ता मानते हुए केवल अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं। विदेशी सामानों को खरीदने में ही अपना बड़प्पन समझ रहे हैं, जिसके चलते स्वदेशी उत्पाद बाजार से गायब होते जा रहे हैं।

रही सही कसर चीन ने पूरी कर दी। भारतीय उपभोक्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चीन ने बहुत ही सस्ते दाम पर अपना माल बाजार में भर दिया। इसके लिए चुनिन्दा लोगों को आर्थिक फायदा देकर मनमाफिक नियम कानून बनवाने में भी सफल रहा। इसके कारण छोटे एवं मध्यम भारतीय उद्योग धीरे धीरे घाटे में जाने लगे। अब तो आलम यह है कि तमाम भारतीय कंपनियां केवल ट्रेडिंग करने वाली कंपनी बनकर रह गयी है। ऐसे उद्योग अब सामानों का निर्माण नहीं करते क्योंकि उनके निर्मित सामानों का मूल्य अधिक होने से उन्हें आर्थिक हानि होती है। आज भारत में लगभग 63000 से अधिक प्रकार के सामानों का आयात चीन से होता है।

तकनीकी रूप से जिसकी हमें आवश्यकता है उसका आयात हो तो समझ में आता है परंतु अंकल चिप्स, लेज, पेप्सी, कोको–कोला, रिन, कोलगेट जैसे विदेशी उत्पादों का आयात करते है जिसमें कि किसी भी तकनीकी की आवश्यकता नहीं है तो यह स्वदेशी घरेलू उत्पादनों के बहिष्कार के समान है ओर एक प्रकार का अघोषित देशद्रोह है। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने बड़े कॉरपोरेट का भी विरोध किया था। उनके अनुसार यदि बड़े–बड़े फंड वाली कंपनियां छोटे–छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं को उत्पादित कर बेचेंगी तो भारत के स्थानीय आत्मनिर्भरता के स्वप्न को बल नहीं मिलेगा, चाहे वह बड़ी फंड वाली कंपनी भारतीय ही क्यों ना हो।

छोटे–छोटे भारतीय उद्योग बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। यह वर्तमान करोना काल में स्प ट हो गया जब भारतीय उद्योगों ने मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर बनाने का काम भी बहुत ही अल्प समय में करके दिखा दिया। इस क्षेत्र मे भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ अन्य देशों के लिए निर्यात करने की स्थिति में भी भारतीय उद्योग धंधे पहुंच गए।

अतः भारतीय उद्योग धंधों को किसी भी स्थिति में कमतर नहीं आंका जा सकता। आवश्यकता है तो केवल और केवल इनको संबल एवं संरक्षण प्रदान करने की। यदि हमारे इन उद्योग धंधों को संबल और संरक्षण मिलता है तो आने वाला समय इन्हीं उद्योग धंधों का होगा और बेरोजगारी जैसे वि ायों पर इन्हीं उद्योग धंधों द्वारा अंकुश लगाया जा सकेगा। अतः हमें स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा, न कि मेड इन इंडिया को। ❑❑

लेखक स्वदेशी जागरण मंच के राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक हैं।

स्वदेशी तेजस से बढ़ेगी तेजस्विता की उड़ान

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की ओर से निर्मित किये जाने वाले हल्के लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी देकर भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को तेजस्विता एवं स्वावलंबन की नयी उड़ान दी है। नरेन्द्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल के क्रम में रक्षा मंत्रालय ने अनुकरणीय कदम उठाया है। स्वदेशी आयुध सामग्री एवं रक्षा उत्पादों के निर्माण से विदेशों से आयात पर रोक लगेगी, जो न केवल आर्थिक दृष्टि से किफायती साबित होगी, बल्कि भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर भी उभरेगा।

यह पहल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि भारत की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में होती है। दूसरी और पाक व चीन की सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों में लगातार इजाफा हुआ है। वहीं विगत में हर बड़े रक्षा सौदों में बिचैलियों की भूमिका को लेकर जो विवाद उठते रहे हैं, उसका भी पटाक्षेप हो सकेगा। साथ ही जहां भारत में रक्षा उद्योग का विकास होगा, वहीं देश में रोजगार के अवसरों में आशातीत वृद्धि हो सकेगी, भारत का पैसा भारत में रहेगा।

इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि भारत की गिनती सामर्थ्यवान, विकसित एवं शक्ति सम्पन्न देशों में होने लगेगी। भारत रक्षा उत्पादों की दृष्टि से शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर हो सकेगा। दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर उभरने के लिये भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी रक्षा जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम बनेगा और किसी भी राजनीति आग्रह–पूर्वाग्रह एवं भ्रष्टाचार को इसकी बाधा नहीं बनने देगा। तेजस लड़ाकू विमानों का संदेश है, सरकार और कर्णधारों को, कि शासन संचालन में एक रात में (ओवर नाईट) ही बहुत कुछ किया जा सकता है।

भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश होने के बावजूद अपने 60

वर्तमान मोदी सरकार ने जहां स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उन्नत एवं प्रोत्साहनपूर्ण नीतियों को निर्मित किया है वहीं उचित बजट का भी प्रावधान किया है। अब समय है उनके सकारात्मक नतीजें जल्दी ही सामने आयें।
– ललित कुमार

प्रतिशत हथियार प्रणालियों को विदेशी बाजारों से खरीदता है, जबकि भारत की तुलना में पाकिस्तान ने अपनी हथियार प्रणालियां ज्यादा विदेशी ग्राहकों को बेची हैं। इन स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए भारत सैन्य उत्पादों के स्वावलम्बन की ओर कदम बढ़ा रहा है तो यह देश की जरूरत भी है और उचित दिशा भी है। आगामी छह–सात सालों में घरेलू रक्षा उद्योग को लगभग चार लाख करोड़ के अनुबंध दिये जायेंगे, जिसमें पारंपरिक पनडुब्बियां, मालवाहक विमान, क्रूज मिसाइलें व हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। वर्तमान वित्त वर्ष में घरेलू रक्षा उद्योग के लिये 52 हजार करोड़ रुपए के पृथक बजट का प्रावधान किया गया है। सेना में हथियारों की आपूर्ति बाधित न हो, इसलिये इसे चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 से 2024 के मध्य क्रियान्वित करने की प्लानिंग है। इस रणनीति के तहत सेना व वायु सेना के लिये एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये तथा नौसेना के लिये एक लाख चालीस हजार करोड़ के उत्पाद तैयार किये जाने की योजना है।

मालूम हो कि सरकारी नीतियों, बजट एवं कार्ययोजनाओं की धीमी रफ्तार का ही परिणाम है कि तेजस को विकसित करने में करीब तीस वर्ष लग गये। इसी तरह रक्षा क्षेत्र की अन्य परियोजनाएं भी लेट–लतीफी एवं सरकारी उदासीनता का शिकार होती रही हैं। इस तरह की स्थितियों का होना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी हम सेना की सामान्य जरूरतों के साधारण उपकरण और छोटे हथियार भी देश में निर्मित करने में सक्षम नहीं हो पाये हैं। निःसंदेह तेजस एक कारगर एवं गुणवत्तापूर्ण लड़ाकू विमान साबित हो रहा है, लेकिन यह तथ्य भी हमारे ध्यान में रहना जरूरी है कि उसमें लगे कुछ उपकरण एवं तकनीक दूसरे देशों की हैं। हमारा अगला लक्ष्य उसे पूरी तरह स्वदेशी और साथ ही अधिक उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने का होना चाहिए। यह तभी संभव है कि हमारे विज्ञानियों और तकनीकी विशेषज्ञों को भरपूर प्रोत्साहन एवं साधन दिये जायें। यदि भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होते हुए अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी छाप छोड़ सकता है और हर तरह की मिसाइलों के निर्माण में सक्षम हो सकता है तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं कि अन्य प्रकार की रक्षा सामग्री तैयार करने में पीछे रहे। वर्तमान मोदी सरकार ने जहां स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उन्नत एवं प्रोत्साहनपूर्ण नीतियों को निर्मित किया है वहीं उचित बजट का भी प्रावधान किया है। अब समय है उनके सकारात्मक नतीजें जल्दी ही सामने आयें। भारत न सिर्फ आयात के विकल्प के उद्देश्य से रक्षा उत्पादों का निर्माण करे, बल्कि भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों का निर्यात अन्य देशों को करने के लिए भी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाये। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

कृषि उपज बाज़ार प्रणाली में सुधार जरूरी

आजकल कृषि उपज बाजार चर्चा में है। सरकार ने हाल ही में कृषि उपज बाजार प्रणाली को दुरूस्त करने के लिए कुछ नये कानून पारित किये है, जिससे किसान को सहूलियत की संभावना है। लेकिन इसका विरोध हो रहा है। कृषि उपज बाजार में बदलाव ब्रिटिशों के जमाने से हो रहे है। आज तक के बहुत सारे सुधार कृषि उपज बाजार समिति के तहत चलने वाले व्यापार से संबंधित थे। यह पहली बार हुआ है कि समिति में हो रहे व्यापार के अलावा किसान को यह स्वतंत्रता देने की कोशिश की गई है कि वो अपना कृषि उत्पादन समिति के बाहर और किसी को कही भी बेच सकता है। वैसे यह कुछ नया नहीं है। कृषि उपज बाजार समिति में कार्यरत व्यापार भी कुछ सरकारी नहीं था। वहाँ भी निजी व्यापारी ही व्यापार करते है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे परवाना धारक है। कृषि उपज बाजार व्यवस्था किसान को लाभ देने में असमर्थ रही है, यह बात नकारी नहीं जा सकती। इसमें सुधार की जरूरत थी, यह बात समझने की है। वैसे भी सुधार एक जीवन की आवश्यकता है। जो कूड़ा बन चुका है उसको फेंका जाएगा और नई बातें आती रहेंगी।

सरकार ही समर्थन मूल्य पर खरीददारी करती रहे, यही किसान की जरूरत है। सरकार की भी अपनी मर्यादा है, क्योंकि समर्थन मूल्य व्यवस्था सरकार की खर्च करने की ताकत और भंडारण की व्यवस्था से जुड़ी है। इसीलिए सरकार ने अलग से किसानों के खाते में पैसे डालकर इसको सुलझाने का प्रयास किया है।
– अनिल जावलेकर

कृषि और किसान लूटते रहे है

कृषि उपज बाजार व्यवस्था किसी भी दृष्टि से कभी किसानों के फायदे की नहीं रही। किसान और उसका उत्पाद हमेशा से लूटता आया है। लूटते किसान आंदोलित होते रहे, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया। ब्रिटिश तो खैर व्यापार के लिए ही आए थे और उन्होंने व्यापार के जरिये ही कृषि को लूटा। कृषि उत्पन्न बाजार सुधार भी उन्होंने अपने फायदे के लिए किए। वे चाहते थे कि भारतीय कृषि उत्पाद अच्छा और सस्ते दाम पर उनको मिलता रहे। कपास में उनकी दिलचस्पी को सभी जानते है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की बात ब्रिटिशों के राज में चली, लेकिन उस पर अमल स्वतंत्रता के बाद हुआ।

कृषि उपज बाजार समिति

किसानों को यह एक बाजार उपलब्ध कराने की बात थी, जिसमें किसान अपना कृषि माल लाये और बेचें। कुछ व्यापारियों को यहां सहूलियत और परवाना दिया गया और आशा की गई कि वे किसान के उत्पाद को ठीक दाम देंगे। कृषि समितियों से भी अपेक्षा थी कि किसानों को सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराये, जिससे किसानों के माल की सुरक्षा हो और बेचने के लिए जगह मिले तथा माल को साफ करने, सुखाने और गुणवत्ता तय करने की सुविधा भी वहां हो। समितियों में व्यवहार पारदर्शी होने की भी उम्मीद थी। भारत के लगभग सभी राज्यों ने कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के लिए 1960–70 के दशक में कानून बनाए और सभी दृष्टि से समितियों को कार्यरत किया। समितियों की कमजोरी यह रही कि

जितना और जैसा चाहिए था, वैसा उनका विस्तार नहीं हो पाया और जितनी सुविधा देनी थी, वह भी नहीं दी गई। अपेक्षा थी कि किसान को 5 किलोमीटर के अंदर यह सुविधा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर परवाना धारक व्यापारियों का भी एकाधिकार बढ़ता गया और व्यापार पारदर्शी नहीं रहा। कीमतें तय करने में किसान की भूमिका नहीं थी और इन व्यापारियों के भरोसे सब व्यापार चलता था। किसान इस व्यवस्था में भी लाभान्वित नहीं हुआ और उसमें उब–सा गया। इससे इस बाजार व्यवस्था में सुधार जरूरी हो गए।

समर्थन मूल्य द्वारा किसानों को फायदा देने की कोशिश

साम्यवादी देशों की तरह भारत सरकार ने बाजार पूर्ण रूप से नियंत्रित कभी नहीं किया। व्यापार निजी क्षेत्र में रहा। जहां जरूरी हो, वहां सरकार हस्तक्षेप जरूर करती रही। ऐसा करते वक्त सरकार की यह कोशिश रही कि व्यवस्था छोटे किसान के लिए फायदेमंद हो। जब सरकार को लगा कि बाजार व्यवस्था किसान को मुनाफा नहीं दे सकती, तो सरकार ने समर्थन मूल्य की संकल्पना लायी और उसे अमल में लाने के लिए एफ़सीआई और नाफेड जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। उसके द्वारा सरकार कुछ फसलों के लिए समर्थन मूल्य जाहिर करती रही और जब फसल आती तो उसको उस समर्थन मूल्य पर खरीदती रही। इस व्यवस्था से किसान को अपने उत्पाद की कीमत मिल जाती है। इस व्यवस्था में कुछ क्षेत्र के किसानों ने अच्छा फायदा उठाया। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश इत्यादि। लेकिन इस योजना से बाकी प्रांतों के किसान वंचित ही रहे।

डिजिटल बाजार का प्रयोग

कृषि उत्पन्न बाजार समिति का एकाधिकार कम करना जरूरी हो गया और इसी दरमियान तंत्र ज्ञान विकास का फायदा लेते हुए सरकार ने डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया और एक ई–नाम का प्लेटफार्म शुरू किया। आज यह प्रयोग कामयाब होता नज़र आ रहा है। यह एक ऐसी अतिरिक्त बाजार व्यवस्था है जिसके जरिये किसान अपने कृषि उत्पाद घर बैठे बेच सकता है और खरीददार भी घर बैठे खरीद सकता है। सरकार ने कोशिश की है कि इस प्लेटफार्म को विविध बाजार से जोड़ा जाये। अब तक 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के 1000 से ज्यादा होलसेल बाजार इससे जुड़ चुके है। 31 अगस्त 2020 तक 1.67 करोड़ किसान, 1.44 लाख व्यापारी, 84 हजार कमीशन एजेंट और 1722 किसान उत्पाद संघ (FPOs) इस प्लाटफार्म से जुड़ चुके थे। यह एक उपलब्धि मानी जाएगी, जिसने किसान को एक बेहतर और वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराया।

कृषि उपज बाजार समिति एकमात्र बाजार नहीं हो सकता

बदलती दुनिया में एक तरफ तंत्र ज्ञान बेशुमार गति से बढ़ रहा है और दूसरी ओर जाग्रतिकरण कमजोर पड़ रहा है। कोरोना ने सभी देशों को आत्मनिर्भरता को अपनाने के लिए मजबूर किया है। व्यापार की व्यवस्था भी बदल रही है। ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहे है और आवश्यक भी हो गए है। ऐसे समय में किसान को एक ही व्यापार व्यवस्था से जोड़कर रखना अव्यावहारिक होगा। समय के साथ चलना जरूरी है और इसलिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति का एकाधिकार समाप्त होना स्वाभाविक है। कृषि में नई पढ़ी–लिखी पीढ़ी आ चुकी है और किसान भी अब कृषि बाजार को समझने लगा है। पहले जैसे जानकारी के स्रोत भी सीमित नहीं रहे। डिजिटल और सोशल मीडिया की वजह से हर बात की जानकारी अपने मोबाइल पर मिल जाती है। सरकार भी अपनी तरफ से कृषि उत्पाद की तथा कृषि व्यापार संबंधित जानकारी किसानों तक पहुंचा रही है। कई संस्थाएं भी इसमें हाथ बटा रही है। कई मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध कराये जा रहे है, जिसके जरिये किसान अपने व्यापार ठीक से कर सके। इसका परिणाम किसान को अपनी फसल कहा बेचनी चाहिए, कितने दाम पर बेचनी चाहिए या किस तरह उपज की गुणवत्ता बनाए रखनी है, इसका ज्ञान होता जा रहा है। इससे किसान खुद अपना व्यापार करने में सक्षम होता दिखाई दे रहा है। बाजार समिति और उनके परवाना धारक व्यापारियों तक अब अपना व्यापार सीमित रखने की किसान को जरूरत नहीं है।

किसान को सरकार के साथ की जरूरत है

व्यापार व्यवस्था संपन्न करने भर से किसान लाभान्वित होगा, ऐसा कहना गलत होगा। भारत के ज़्यादातर किसान छोटे किसान है और उसकी कृषि योग्य भूमि भी कम है। सिर्फ बाजार के भरोसे किसान को नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी जरूरत उसके उत्पाद को सही कीमत मिलने की है, जो कि किसी भी व्यवस्था से मिले। कोई बाजार मुनाफे की गारंटी नहीं दे सकता। सरकार ही समर्थन मूल्य पर खरीददारी करती रहे, यही किसान की जरूरत है। सरकार की भी अपनी मर्यादा है, क्योंकि समर्थन मूल्य व्यवस्था सरकार की खर्च करने की ताकत और भंडारण की व्यवस्था से जुड़ी है। इसीलिए सरकार ने अलग से किसानों के खाते में पैसे डालकर इसको सुलझाने का प्रयास किया है। समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद और नगद खाते में कुछ जमा करना किसान को राहत दे सकता है। कृषि बाजार व्यवस्था सुधार साथ–साथ होते रहने चाहिए।❑❑

प्रकाशकों के खिलाफ सरकार करे सक्रिय हस्तक्षेप

डिजिटल तकनीक ने संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। माउस के एक क्लिक के साथ ज्ञान–विज्ञान की दुनिया सहज ही सबके लिए सुलभ हुई है लेकिन इसके त्वरित प्रसार के लिए पेश इन नई उम्मीदों पर ग्रहण लग सकता है यदि इसका अधिकार कुछ गिनती के लोगों तक सीमित हो जाए। ज्ञान के केंद्र पर एकाधिकार हासिल करने का एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया है। चोटी के चार प्रकाशकों द्वारा दुनिया भर में जानकारियों का खजाना कहीं जाने वाली दो वेबसाइटों को बंद कराने के प्रयास का मामला न सिर्फ सनसनीखेज है, बल्कि छात्रों, अध्यापकों व शोधकर्मियों के लिए ज्ञान से वंचित करने वाला भी है।

हालिया प्रकरण में चार अग्रणी प्रकाशकों क्रमशः विज एल्सवीयर, विली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विली पीरिओडिकल्स एलएलसी और अमेरिकन केमिकल सोसायटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर दो प्रसिद्ध वेबसाइट विज डॉट लिबजेन और साइंस–हब के फ्री ऐस्सस को बंद करने की मांग की है। मालूम हो कि यह दोनों वेबसाइट भारी तादाद में किताबें और आलेख पत्र उपलब्ध कराती हैं, जिसका लाभ असंख्य छात्र और अध्यापक उठाते रहे हैं। प्रकाशकों की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट अगर मंजूरी दे देता है तो इंटरनेट सेवा प्रदाता भारत में इन दोनों वेबसाइटों के मुफ्त पहुंच को बलपूर्वक बंद कर सकते हैं। यह एक गंभीर मामला होगा, क्योंकि ऐसा होने से भारतीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अकादमिक लेख मिलने बंद हो जाएंगे। हालांकि भारत सरकार आईआईटी, आईआईएसईआर, आईआईएम जैसे प्रमुख अनुसंधान संस्थानों सहित देश के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में पत्रिकाओं आदि सदस्यता के लिए 1500 करोड़ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करती है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में शोधकर्ता और छात्र पत्रिकाओं और वेबसाइट पर पहुंचने के लिए साइंस–हब और लिबजेन पर बहुत अधिक निर्भर है। साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1 सितंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक केवल 6 महीनों के दौरान भारत के उपयोगकर्ताओं ने साइंस–हब से 34 लाख लेख डाउनलोड किए। लंसेट ग्लोबल में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के मुताबिक मेडिकल जरनल लेखों का सबसे अधिक उपयोग भारत में हो रहा है। इससे पता चलता है कि विज्ञान हब जैसी डिजिटल लाइब्रेरी पर भारतीय अनुसंधान समुदाय की भारी निर्भरता है।

स्वदेशी जागरण मंच ने छात्रों और शिक्षकों सहित शोध समुदाय के लिए लाखों पुस्तकों और लेखों की निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप का अनुरोध किया है और उक्त मामले में यह भी अपेक्षा की है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशकों को उनके मनमाफिक निषेधाज्ञा की मंजूरी नहीं देनी चाहिए।
– स्वदेशी संवाद

शैक्षणिक पत्रिकाओं के प्रकाशन में बाजार की खासी दिलचस्पी है। यदि हम पांच शीर्ष प्रकाशकों को देखें तो दुनिया भर में विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों से जुड़े 50 प्रतिशत से अधिक प्रकाशनों पर काबिज हैं। यहां तक कि हावर्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भी उनकी सदस्यता शुल्क नहीं अदा कर पाते। ऐसे में हमारे शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अधिक लागत के कारण उनकी पत्रिकाओं को खरीदना मुश्किल हो रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रकाशन उद्योग ऐसी सामग्री के लिए कोई भुगतान नहीं कर रहा है। सभी सामग्री अनुसंधान, संस्थानों और विश्वविद्यालय में काम करने वाले शिक्षक समुदाय द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो कि ज्यादातर सरकारी वित्तीय पोषित होते हैं। अधिकांश सहकर्मी अधीक्षकों को भी भुगतान नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप प्रकाशकों का खर्च बहुत कम है और वे उच्च लाभ अर्जित करते हैं। यही नहीं पब्लिशिंग हाउस शोधकर्ताओं से लेख प्रकाशित करने के लिए शर्त के रूप में उनके कॉपीराइट आवंटित करने के लिए कहते हैं और फिर विद्वानों के काम पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए इन साइन किए गए कॉपीराइट का उपयोग करते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक बार जब कोई

पाठक अपने डिवाइस पर डिजिटल कॉपी पढ़ता है तो उसे कार्य को पुनः प्रस्तुत करने के रूप में माना जाता है, जो कॉपीराइट कानून के तहत दिया गया है, जो एक विशेष अधिकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल संदर्भ में प्रजनन के विशेष अधिकार का प्रवर्तन पाठक को डिजिटल कॉपी पढ़ने से रोकता है। आजकल शोध लेखों का बड़ा हिस्सा केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है। ऐसे में कानूनी अवधारणा डिजिटल पाठकों को पढ़ने और ज्ञान तक पहुंचने के अधिकार से इनकार करती हैं।

ज्ञातव्य हो कि लिबजेन और साइंस–हब के अधिकांश लाभार्थी अनुसंधान समुदाय के हैं और इनके उपयोग की प्रकृति गैर वाणिज्यिक है। इस प्रकार इन वेबसाइटों का कोई प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उपयोग नहीं है। इसलिए यह एक गैर वेबसाइट पुस्तकालय है, जहां शोधार्थी पहुंच सकता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 के उपखंड 4 में कहा गया है कि आयातक के निजी और घरेलू उपयोग के लिए किसी भी काम के प्रति के आयात पर लागू नहीं होगा। क्योंकि एक प्रति का आयात उल्लंघन नहीं माना जाता, तो जाहिर है कि भारतीय शोधकर्ता कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है।

इसके अलावा कॉपीराइट अधिनियम धारा 52 में कहा गया है कि निजी अनुसंधान आलोचना या समीक्षा वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग, सार्वजनिक व्याख्यान आदि से संबंधित मामले में कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। इसका भंडारण में उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। मतलब अधिनियम के तहत व्यक्तिगत डाउनलोडिंग और भंडारण संरक्षित है। कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया गया है कि पुस्तक को पढ़ने के लिए पहुंच से वंचित करने, डिजिटल प्रतिलिपि प्राप्त करने से रोकना, कॉपीराइट स्वामी के अधिकारों का हिस्सा नहीं है। कहा गया है कि लिबजेन और साइंस–हब जैसे डिजिटल पुस्तकालय को अवरुद्ध करने से एक बड़ा वर्ग पढ़ने के लिए पहुंच से वंचित हो जाएगा, जोकि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा के तहत गारंटीकृत विज्ञान के अधिकार से समझौता होगा। अनुच्छेद 15 (1) (ब) में आईसीईएसईआर के सदस्य देशों को वैज्ञानिक प्रगति और उसके अनुप्रयोगों के लाभों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। सामान्य टिप्पणी संख्या 25 जो आईसीईएससीआर के कार्यान्वयन के प्रभारी द्वारा दायित्व की व्याख्या है, अनुच्छेद 15 के तहत वर्णित है। इसमें कहा गया है कि भाग लेने के अधिकार और लाभों का उपयोग लेने के लिए संबंधित कोर दायित्वों, वैज्ञानिक प्रगति और इसके लिए राज्यों की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि अनुचित रूप से ज्ञान–विज्ञान के पहुंच को सीमित करने वाले कानूनों, नीतियों को हटा देना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 15 (1) (सी) में कहा गया है कि समग्रतः बौद्धिक संपदा एक सामाजिक उत्पाद है और एक सामाजिक कार्य है। राज्यों का कर्त्तव्य है कि वे जनसंख्या, स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा के बड़े क्षेत्रों के अधिकारों को कम करने से लेकर दवाओं, पौधों, बीजों, खाद्य उत्पादन के अन्य साधनों तक पहुंचने के लिए या स्कूली किताबों शिक्षण सामग्री की पहुंच के लिए अनुचित रूप से उच्च लागतों को रोके। इसी तरह अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। गरिमा का यह अधिकार ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने हेतु राज्यों पर शुल्क लगाता है। अतः ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय प्रकाशकों को निषेधाज्ञा प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि–

1. भौतिक वस्तुओं के लिए कॉपीराइट में प्रयुक्त शब्द प्रजनन की व्याख्या को डिजिटल मोड पर लागू नहीं किया जा सकता है।
2. गैर व्यवसायिक उपयोग के लिए मुफ्त पुस्तकालय का उपयोग कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन नहीं है।
3. इसे जनहित के खिलाफ माना जाएगा।
4. आईसीईएससीआर के तहत भारत के दायित्व से समझौता करते हुए निषेधाज्ञा प्रदान करना भी माना जाएगा।
5. प्रकाशकों को ज्ञान के प्रकाश को रोकने के लिए कानूनी उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ अश्वनी महाजन ने छात्रों और शिक्षकों सहित शोध समुदाय के लिए लाखों पुस्तकों और लेखों की निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप का अनुरोध किया है और उक्त मामले में यह भी अपेक्षा की है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशकों को उनके मनमाफिक निषेधाज्ञा की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि–

1. सरकार को भारत में लिबजेन और साइंस–हब के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 में संशोधन करना चाहिए।
2. याचिका में प्रतिवादी दूरसंचार विभाग को अदालत के समक्ष इन वेबसाइटों तक पहुंच से वंचित करने के सार्वजनिक हित निहितार्थ को उजागर करना चाहिए और निषेधाज्ञा देने का कड़ा विरोध करना चाहिए।
3. शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा प्रकाशित शोध के अधिकारों में विश्वविद्यालयों और संस्थान के दावों को स्वीकार करने के लिए कॉपीराइट कानून में संशोधन करना चाहिए। ❑❑

बाजार के भरोसे खेती को छोड़ने के जोखिम

हम सबको चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन अगली बार जब आप चॉकलेट का ग्रास लें तो यह याद करिएगा कि कोको की खेती करने वाले एक किसान की औसत दिहाड़ी उस मूल्य से भी कम है जो आपके हाथ में मध्यम आकार की चॉकलेट बार की होती है। पश्चिमी अफ्रीका के कोको किसान की दैनिक आय महज 100 रुपये (1.3 डॉलर) बैठती है।

दुनिया में इस समय में जो 210 खरब डॉलर वाला वैश्विक कनफैक्शनरी उद्योग दिन दोगुनी–रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसमें चॉकलेट से बने उत्पादों का हिस्सा काफी ज्यादा है। चॉकोलेट बैरोमीटर नामक संस्था की द्विवार्षिक रिपोर्ट–2020 दर्शाती है कि मौजूदा बाजारचालित व्यापार मॉडल में कोको की उच्च उत्पादन मात्रा के बूते प्रफुल्लित चॉकलेट उद्योग खुद तो काफी मुनाफा कमा रहा है, किंतु कोको की खेती में लगे लगभग 50–60 लाख किसान निरंतर गरीबी की अवस्था में बने हुए हैं। बाजार कीमतों पर उनकी निर्भरता को खत्म कर यदि कोको किसानों को अपने उत्पाद का केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए तो भी लाखों–लाख कृषक गरीबी, भुखमरी और कुपोषण से निजात पा सकेंगे।

ब्रिटेन में दूध विपणन बोर्ड, जो दूध की कीमत और व्यापार को नियंत्रित करता था, को खत्म करने के बाद डेयरी फार्मों की संख्या बहुत कम रह गई है। जहां वर्ष 1995 में तकरीबन 40 हजार डेयरी फार्म थे, वहीं 2020 में घटकर 8,130 रह गए हैं। हालांकि दुग्ध उत्पादक चाहते थे कि मूल्य नियंत्रक व्यवस्था कायम रहे, किंतु बाजार–अर्थशास्त्रियों की सोच विपरीत थी। 1994 से 2020 के बीच दूध की बाजार कीमतें 28 फीसदी कम हो गईं और 2015 में एक समय ऐसा भी आया जब मूल्य 40 फीसदी से ज्यादा गिर गया था, दुग्ध उत्पादक अपनी लागत भी नहीं निकाल पाए। इस प्रक्रिया में खेती आधारित जीवनयापन के तहस–नहस होने से पैदा हुई किसान की त्रासदी को छिपा दिया गया। एक ब्रिटिश किसान के शब्दों में 'हर किसान कर्ज के लगातार बढ़ते ऐसे दुष्चक्र में तब तक फंसता जाता

अगर दुनिया के सबसे बड़े कृषि वाले दो महाकाय देशों (अमेरिका व चीन) को अहसास हो गया है कि मुक्त मंडी व्यवस्था कृषि आय को बढ़ाने में अक्षम रही है, तो भारत को भी अपनी सोच पर अवश्य पुनर्विचार करना चाहिए।
– देविन्दर शर्मा

है जब तक कि दीवालिया न हो जाए, फिर उसके पास या तो आत्महत्या करने या फिर आमदनी का कोई और जरिया ढूंढने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता।'

जो कुछ ब्रिटेन में हुआ, और यूरोप में भी, वह कोई अकेला नहीं है। अमेरिका तक में पिछले दो दशकों में 50 फीसदी डेयरी फार्म गायब हो चुके हैं। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक लाइसेंसशुदा डेयरी फार्मों की संख्या वर्ष 2003 में 70 हजार से घटकर 2019 में 34 हजार रह गई है। छोटे किसानों (दुग्ध उत्पादकों) ने इस धंधे से तौबा कर ली, इनकी जगह भीमकाय डेयरी उद्योगों ने ले ली है। नतीजतन, छोटे दुग्ध उत्पादकों का धंधा बंद होने के बावजूद दूध उत्पादन काफी बढ़ गया। यह वह स्थिति है, जिसे वाकई भारत अपने यहां दोहराना नहीं चाहेगा। ऐसे देश में जहां 50 फीसदी जनसंख्या कृषि में लिप्त है और जिसका दुग्ध उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा हो, भारत को अगर कुछ चाहिए तो वह है जन–कृषि उत्पादक व्यवस्था जहां छोटा किसान भी सुनिश्चित मूल्य निर्धारण तंत्र के जरिए पाई आमदनी से अपने लिए एक सम्माननीय जिंदगी जी सके।

उम्मीद के मुताबिक ब्रिटेन में मुक्त मंडी व्यवस्था ने खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को फायदा दिया और छोटे डेयरी मालिक धंधे से बाहर हो गए। इससे शुरू हुआ फालतू उत्पादन वाला दुष्चक्र, जिसने बाजार कीमतें और नीचे कर दीं। वहां सप्लाई चेन में विसंगतियों को दूर करने का मूल उपाय करने की बजाय, जिससे कि दुग्ध उत्पादक को एक न्यूनतम मूल्य मिल पाता, आयरलैंड समेत यूरोप और अमेरिका ने घाटा खाए किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए वक्ती तौर पर अस्थाई राहत पैकेज देने जैसे कदम अपनाए। इस तरह किसानों द्वारा नाजायज कीमतों का जो विरोध होना शुरू हुआ था, वह अभियान आज तक उचित मूल्य दिलवाने के लिए जारी है।

इतना ही नहीं, सरकार द्वारा इन देशों में विश्व व्यापार संगठन के नाजायज कृषि समझौते पर सहमति देने से डेयरी मालिकों की त्रासदी कई गुणा बढ़ा गई, जिसके तहत यूरोपियन देशों के बहुत ज्यादा सब्सिडी प्राप्त फालतू दुग्ध उत्पादों को विकासशील देशों में 'उड़ेल' देने को इजाजत मिल गई। विकसित देशों में वस्तु–विशेष पर 5 फीसदी सब्सिडी देने के नियम को दरकिनार करते हुए यूरोपियन यूनियन के देशों ने दुग्ध उत्पादकों के स्किम्ड मिल्क पाउडर पर 67 प्रतिशत तक सब्सिडी दे डाली, इससे सस्ते बन गए उत्पादों का अंबार विकासशील देशों में लगाना आसान हो गया। इस प्रक्रिया में दोनों छोर के छोटे डेयरी किसानों को नुकसान हुआ। यानी विकसित और विकासशील मुल्कों में, दोनों जगह।

कोई हैरानी नहीं कि ऐसे वक्त जब भारत में मुख्यधारा के अर्थशास्त्री मुक्त मंडी वाली व्यवस्था को लेकर इसलिए उत्साहित हो रहे हैं कि इससे कृषि जगत की आमदनी बढ़ेगी, ठीक उसी समय कनाडा के किसान अपने जीवनयापन को सुरक्षित करने हेतु संरक्षण की मांग कर रहे हैं। पूर्वी कनाडा की तीन मुख्य किसान यूनियनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में अपने देश के किसानों को 32 खरब डॉलर की सब्सिडी देने को लेकर आशंकित होकर इसे अपने वजूद के लिए खतरा बताया है, क्योंकि सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पादों का आयात होने से उनका माल धरा रह जाएगा। उनका कहना है 'किसानों को उत्पाद का लागत मूल्य वापस पाने वाला निजाम बनाना ही होगा वरना उनमें से अधिकांश ज्यादा समय तक इस व्यवसाय में नहीं रह पाएंगे।'

आइए अब अमेरिका के सूरत–ए–हाल देखें, आज वहां कृषि जगत में जो समृद्धि दिखाई दे रही है, वह दरअसल भारी भरकम सब्सिडी वाले सरकारी संबल की वजह से है। यह सुनिश्चित करने को कि छोटा किसान गायब न होने पाए, अमेरिका हर पांचवें साल नया कृषि कानून सुधार लेकर आता है। वर्ष 2018 वाले कानून में अगले दस सालों के लिए 867 खरब डॉलर की मदद राशि रखी है ताकि अनेकानेक उपायों से कृषि आय बढ़ने के साथ नागरिक पौष्टिकता योजनाएं अमल में लाई जा सकें।

किसानों को मंडी भावों के उतार–चढ़ाव के रहमो–करम पर छोड़ने की बजाय अमेरिका ने एग्रीकल्चर रिस्क कैम्पेन (कृषि जोखिम बचाव) और प्राइस लॉस कवरेज (मूल्य अवनति भरपाई) कार्यक्रमों को 2018 के कृषि कानून में शामिल किया है। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य किसानों को वाजिब बाजार मूल्य मिल पाने पर या कर भुगतान संबंधी घाटे की भरपाई करना है और यह 24 जिन्सों के लिए लागू है, जिसमें गेहूं, जई, ज्वार, कुसुम, बाजरा, जौ, मक्का, चावल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, रेपसीड, कनोला, अलसी, सरसों, तिल, कपास बीज, सूखे मटर, दालें, छोटा–बड़ा चना, मूंगफली इत्यादि हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, फसल बीमा, ढांचा संबंधी अतिरिक्त खर्चे और पर्यावरणीय मुसीबतों से उबारने हेतु अनेकानेक राहत योजनाएं भी लागू हैं।

यहां तक कि चीन में भी मुक्त मंडी व्यवस्था कृषि आय बढ़ाने में नाकामयाब रही है। चीन ने अपने कृषि क्षेत्र को वर्ष 2016 में 212 खरब डॉलर की सब्सिडी मुहैया करवाई थी, जो विश्वभर में सबसे अधिक थी। अगर दुनिया के सबसे बड़ी कृषि वाले इन दो महाकाय देशों को अहसास हो गया है कि मुक्त मंडी व्यवस्था कृषि आय को बढ़ाने में अक्षम रही है तो भारत को भी अपनी सोच पर अवश्य पुनर्विचार करना चाहिए। ❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/risk-of-abandoning-farming-depending-on-market-22843

स्वदेशी वैक्सीन से बढ़ी देश की साख

भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की दहलीज पर पहुंच गया है। अब भारत के सामने टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने की बड़ी चुनौती है। जिस तरह भारत में पहले भी बड़े टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाए जाते रहे हैं, उन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कोरोना के मामले में भी भारत सफलता की गाथा लिखने वाला है। सिरम इनस्टीटयूट आफ इंडिया की कॉपी सिल्ट और भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके को वैक्सीन को डीसीजीआई से मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना के चुनौती काल में हमारे वैज्ञानिकों की सफलता ने एक बार फिर देश की वैश्विक साख बढ़ाई है। दोनों तरीकों को लेकर दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी के दौरान भारत की भूमिका की सराहना की है और इससे लड़ने के लिए उठाए गए कदमों को निर्णायक बताया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दुनिया भर में कमजोर लोगों को बचाने के लिहाज से भारत की यह कामयाबी बेहद अहम है।

कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया की उम्मीद वैक्सीन पर टिकी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत सहित कई देशों में वैक्सीन लांच कर दी गई है। हालांकि वैक्सीन को लेकर देश में असहमति के भी स्वर भी उभरे हैं, अफवाहों के बाजार भी गर्म है। इंटरनेट और व्हाट्सएप पर तरह–तरह की नकारात्मक कहानियां फैलाई जा रही है। यह कोई नई बात नहीं है। देश में इस तरह के अफवाह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। देश में जब पोलियो वैक्सीन लांच की गई थी, तब भी कुछ इस तरह की अफवाह फैलाई गयी थी। आज हर धर्म, हर जात और हर समुदाय के लोग पोलियो वैक्सीन लगवा रहे है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ धार्मिक और सियासी दलों ने वैक्सीन को भाजपाई टीका बताने से लेकर इसमें पोर्क होने जैसी अनर्गल आलोचना की है। जिस टीके को डब्ल्यूएचओ कमजोर देशों का कवच बता रहा है, विपक्षी दल आंकड़ों और परीक्षण की कमी जैसे आरोपों से टीके के असर और उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया को जल्दबाजी बताकर वैज्ञानिकों की मेहनत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह हकीकत है कि भारत में बने टीकों का तीसरा ट्रायल अभी

प्रधानमंत्री के आह्वान तथा भारतीय वैज्ञानिकों की मेधा पर विश्वास रखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाने हेतु हर देशवासी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
– स्वदेशी संवाद

नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में भी फिलहाल इसी प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। क्योंकि टीके को तमाम परीक्षणों से गुजरने और इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित घोषित होने में इन्हें अभी कई साल लग जाएंगे। जबकि लाइलाज बने कोरोना का इलाज जल्द से जल्द जरूरी है। ऐसे में देश के सियासी दलों को मीनमैक्स निकालने की बजाए अपने देश के वैज्ञानिकों के इस आविष्कार पर ठहरकर भरोसा करना चाहिए तथा सरकार के साथ सहयोग करते हुए आम आदमी को कैसे लाभ पहुंचे, उसका रास्ता तैयार करना चाहिए। मीजल एमएमआर जैसे वैक्सीन ले रहे हैं और लोग सुरक्षित भी हैं।

कोरोना महामारी का सामना करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने जितनी तेजी से टीकों का विकास किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। सभी ठीक है, पहली पीढ़ी के हैं, आगे इनमें सुधार भी होंगे। टीका बनाने वाली दोनों कंपनियों के लोग नामचीन हैं। सिरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला दुनिया के वैक्सीन किंग कहे जाने वाले साइरस पूनावाला के बेटे हैं, जो बायोटेक के फाउंडर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ कृष्णा हिला तमिलनाडु के किसान परिवार से हैं। अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में दखल दिया। भारत में पहले हैपेटाइटिस की वैक्सीन रू. 5000 में मिलती थी, डॉक्टर कृष्ण लीला की मेहनत रंग लाई और अब भारत में हैपेटाइटिस की दवा महज रू. 10 में मिल जाती है। भारत बायोटेक के पास वर्तमान में 140 दवाओं का पेटेंट है।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों इन दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बीच नोकझोंक हुई थी, हो सकता है कि इस नोकझोंक के पीछे बाजार की भूमिका हो, क्योंकि सिरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन रू. 1000 की बताई जा रही है, वहीं

कोरोना महामारी का सामना करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने जितनी तेजी से टीकों का विकास किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती।

भारत बायोटेक की वैक्सीन महज रू. 200 में उपलब्ध होगी। लेकिन सरकार ने जल्दी ही इस मामले में दखल देकर मामले को स्पष्ट कर दिया है। अब दोनों ही कंपनियां एक साथ मिलकर भारत के 135 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए प्राण प्रण से जुड़ने का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों के वैक्सीन को सुरक्षित बताया गया है। कोफीसेंड बनाने वाली कंपनी सिरम इंस्टीट्यूट यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनी एस्ट्रोजेनिक वैक्सीन की भारत में पार्टनर है, जबकि भारत बायोटेक की वैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी है। यह एक तरह से सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का प्रतीक भी है। ऐसे में कंपनियों को प्राइस वार में उलझने की बजाय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अपनी रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि आगे इनमें और भी सुधार होंगे तथा और तरह की वैक्सीन भी विकसित की जाएगी।

भिन्न–भिन्न तरह के वायरस से संक्रमित होने का इतिहास पुराना है, तो टीकाकरण का इतिहास भी बहुत नया नहीं है। एडवर्ड जेनर ने 1796 में प्रतिरक्षीकरण का विकास करके मानव जाति के रक्षार्थ चिकित्सा विज्ञान को नया आयाम दिया था। अब तक असंख्य लोगों की जान बचाई है और रोकथाम के लिए कारगर काम किया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पी.के. प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की जान बचाते हैं। शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार करने का काम करते हैं तथा अपने द्वारा लक्षित वायरस और बैक्टीरिया को पहचानने और उनसे लड़ने में सहायक होते हैं। वैक्सीन को लेकर झिझक के मद्देनजर डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए मुख्य खतरों में से एक माना है। बहुत से लोग टीके लगवाने में संकोच करते हैं, क्योंकि पीके की प्रभावशीलता पर वह बिना किसी पुख्ता कारण के संदेह करते हैं, क्योंकि उन्हें टीके के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है। भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। 1985 में इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में संशोधित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 246 के अनुसार सातवीं अनुसूची के तहत लोक स्वास्थ्य राज्यों की सूची में छठवें आइटम तथा कंक्रीट सूची के 29 में आइटम के रूप में निहित है। हाल ही में एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को भी एक अध्यादेश के जरिए मंजूरी दी गई है। संघवाद को मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग के प्रस्ताव में लोक स्वास्थ्य कोकन करंट लिस्ट में शामिल करने का मसौदा तैयार किया गया है।

ऐसे में प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारतीय वैज्ञानिकों की मेधा पर विश्वास रखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाने हेतु हर देशवासी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने ही होगी। जब देश में करुणा के खिलाफ जंग शुरू की थी, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 135 करोड़ देश के महारथी महारथियों के बूते हमें इस लड़ाई को जीत नहीं है और इसी जीत के भरोसे के साथ देश की आम आवाम को इसके लिए आगे आना ही होगा। ❑❑

फुटकर व्यापार के अस्तित्व के लिए वोकल फॉर लोकल को अपनाना आवश्यक

देश की अर्थव्यवस्था में छोटे दुकानदारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर तथा वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकेगा, जबकि फुटकर दुकानदारों का भरपूर सहयोग होगा तथा आगामी वर्ष 2030 तक के लिए कम से कम 9–10 प्रतिशत वार्षिक विकास की दर को सुनिश्चित करना ही होगा।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यापार को डुबो दिया, ऐसा लोग बोलने लगे है किन्तु कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि व्यापार कमजोर क्यों होते जा रहे है? हकीकत में गत 20–25 वर्ष से ऑनलाईन व्यापार (ई–कामर्स) ने सब कुछ चौपट कर दिया है। अगर हम अभी नहीं चेते तो व्यापार क्षेत्र के हालात और खराब होते जायेंगे। अब समय आ गया है कि हमें अपनी नजदीक की दुकानों से ही अधिक से अधिक सामान खरीदना होगा तभी दुकानदार के साथ साथ हम अपने देश को भी बचा पायेंगें। स्वीकर सब कर रहे है कि व्यापार कम से कम हो गया है, परन्तु उसकी वजह कोई नहीं जानना चाहता है कि हकीकत क्या है? आज की नई पीढ़ी अपनी अधिकतम जरुरत का सामान ऑनलाईन ही क्रय कर रही है किन्तु इसमें हम जाने तथा अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी की मार रहे है। हम सब लोग फुटकर व्यापार की बदलती इस व्यवस्था का शिकार होते जा रहे है। यदि हमें इस ई–कामर्स की व्यवस्था से बचना है तो हमें वोकल फॉर लोकल की नीति को अपनाना ही पड़ेगा।

भारत में ऑनलाईन मार्केट का 30 प्रतिशत अमेजन के पास और 20–25 प्रतिशत फ्लिप कार्ट और बाकी में बाकी अन्य कम्पनियां शामिल है। अफसोस है कि कहीं कोई सीधा जबाब नहीं ढूंढ़ पाये है पर अंदाज लगाया गया है कि देश में कम से कम 10 लाख रुपये प्रति सेकंड़ की बिक्री ऑनलाईन होती है अर्थात प्रति मिनट 6 करोड़ रुपये यानी 360 करोड़ रुपये प्रति घंटा और एक दिन में चार हजार करोड़ रुपये की बिक्री। एक वर्ष में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की बिक्री ऑनलाईन की मार्फत होती है जिसका लगभग 50 प्रतिशत सिर्फ 2 कम्पनियां ही कर रही है। यह पैसा पहले मर्किट में आता था तथा रोटेट होता था परन्तु अब ऑनलाईन सेल में ही जा रहा है। ऊपर से तुर्रा यह है कि यह बिकता इसलिए है क्योंकि अक्सर ज्यादा सेल वाली चीजों पर यह कम्पनियां सब्सिड़ी दे रही है। ये कम्पनियां मार्किट से स्थानीय दुकानदारों को बाजार से बाहर करने के लिए और इसी हिसाब से यदि चलता रहा तो अगले 5 साल में उन्हें बाजार से बाहर कर भी देंगी, फिर अपनी मर्जी के रेट ले लेंगी इनके पास अथाह पैसा है जिसका सोर्स कोई नहीं जान सकता।

बड़ी मुश्किल घड़ी है भारत के लिए

गौर तलब है कि कुल जीएसटी संग्रह एक साल में 12 लाख करोड़ रुपये के लगभग है अर्थात औसत रुप से 15 प्रतिशत कर माना जाए तो कुल व्यापार जिस पर जीएसटी चार्ज होता है (0 प्रतिशत टैक्स वाली आइटम भी इतनी ही बैठेंगी) वो एक साल में लगभग 80 लाख करोड़ रुपये का है अर्थात कुल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाईन खींच चुकी है। देश का पैसा विदेश जाना भारतीय फुटकर व्यापार में लगी कई कम्पनियों के दिवालिया होने का कारण हो सकता है। किसी जमाने में ईस्ट इंड़िया कम्पनी नाम की विदेशी कम्पनी ने व्यापारी बन कर इस देश में घुसपैठ की थी और हमें गुलाम बना लिया

गया था और आज भी विदेशी ऑनलाईन कम्पनियां हमारे देश के फुटकर व्यापार पर कब्जा कर रही है और कम लोग आने वाले खतरे से अनजान 100–200–500 रुपये की बचत के लालच में अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दांव पर लगा रहे है।

पिछले दिनों देश में जहां जहां बाढ़ आयी अथवा प्राकृतिक विपत्ति आयी वहां वहां स्थानीय दुकानदार ही काम आए। इन आनॅलाईन कम्पनियों ने वहां कुछ भी मदद नहीं की। भविष्य में आने वाले खतरे को पहचानो और बंद करो ऑनलाईन खरीददारी। कृपया करके सभी लोग अपने आस पास की दुकान व छोटे छोटे व्यापारी, ढ़ेले वालों, रेहड़ी वालों से ही समान लें ताकि मार्किट में मंदी का दौर कम हो और एक गरीब आदमी के घर में भी रुपया आता दिखाई दे। वह भी अपने घर दिवाली मना सके। देश के लोग अपना सामान ऑनालाईन व बड़े मॉल से न क्रय करें। ये लोग तो पहले से ही पैसे वाले है। परन्तु ये छोटे दुकानदार तो अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकानदारी करते है। गरीब आम आदमी के व्यापारियों के पैसे भी ऐसी ऑनलाईन कम्पनियां खुद ही कमाना चाहती है। हम जरुरी सामान आसपड़ोस के दुकानदारों से ही क्रय करें ताकि मार्केट में रुपया रोटेट हो सके।

सरकार भी छोटे दुकानदारों के हित को सर्वोपरि मानकर अपनी रीति व नीति तय कर रही है। भारत ने विदेशी कम्पनियों को चेतावनी दी है कि ई–कामर्स प्लेटफार्म का प्रयोग आक्रमक प्राइसिंग और मोटे ड़िसकाउंट के लिए न करें। इससे छोटे दुकानदार व्यवस्था से ही बाहर हो जायेंगे।

अक्टूबर 3, 2019 को वर्ल्ड़ इकोनॉमिक फोरम के तत्वावधान में आयोजित इंड़िया इकोनोमिक समिट में केन्द्रीय सरकार में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फुटकर

सरकार भी छोटे दुकानदारों के हित को सर्वोपरि मानकर अपनी रीति व नीति तय कर रही है। भारत ने विदेशी कंपनियों को चेतावनी दी है कि ई-कामर्स प्लेटफार्म का प्रयोग आक्रमक प्राइसिंग और मोटे ड़िसकाउंट के लिए न करें। इससे छोटे दुकानदार व्यवस्था से ही बाहर हो जायेंगे।

दुकानदारों का यह क्षेत्र बहुत ही संवोदनशील है तथा सरकार का दृढ़ निश्चय है कि वह किसी कीमत पर फुटकर दुकानदारों का समाप्त नहीं होने देगी। जब से ई–कामर्स कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की अनुमति दी गई है तभी से छोटे छोटे दुकानदार इस बात से भयभीत है कि आकर्षक ऑफरों के मार्फत यह बड़ी कम्पनियां ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल हो जाती हैं। पीयूष गोयल ने स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि फुटकर व्यापार सेक्टर के लिए एक स्थायी और उद्देश्यों के मुताबिक रेगुलेटरी ढ़ांचा तैयार किया जायेगा। हमारी घरेलु राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में स्मॉल रिटेल पर आश्रित 15–16 करोड़ की जनसंख्या को घ्यान में रखते हुए यह क्षेत्र हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देश में 5–6 करोड़ छोटी खुदरा दुकानें है जो युवकों को रोजगार देने में बड़ी भूमिका निभाती है। यह विषय बेहद संवेदनशील है। इसी कारण मल्टी ब्रांड़ रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत पर ही रखी गयी है। श्री गोयल ने कहा है कि भारतीय कानून की मूल भावना छोटे दुकानदारों को संरक्षण देने की है। विश्व के प्रत्येक देश की सरकार अपने लोगों के लिए रोजगार और उनके जीवनयापन के लिए उनके हितों को ध्यान में रखती ही हैं।

ई–कामर्स ग्राहकों को सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। भारत में लोगों की आय कम है तथा उन्हें अधिक दाम देना पड़ रहा है जिस कारण बड़ी संख्या में लोग ई–कामर्स की तरफ आकर्षित हो जाते है। विश्व स्तर पर ऑनलाईन ट्रेड़िंग बढ़ी है जिसमें भारत भी पीछे नहीं रहने वाला है। अतः इससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोटे दुकानदारों को भी स्थानीय आधार पर ग्राहकों को आकर्षक ऑफर देने चाहिए तथा वे सब अवित्तीय सुविधायें भी देनी चाहिए जो ऑनलाईन प्लेटफार्म पर कम्पनियां देती है। जैसे दुकानदार का ग्राहक के प्रति व्यवहार अच्छा हो, उसके सामाजिक सरोकार, बिक्रीत वस्तुओं को निश्चित समय में वापस लेना, घर पर वस्तुओं की ड़िलीवरी करना, वस्तु की खरीददारी पर नकद छूट नकदी वापसी के रुप में देना तथा अन्य सुविधाओं से अपने व्यापार के प्रति ग्राहकों को आकर्षित करना जिससे स्थानीय दुकानदार भी ई–कामर्स में लगी बड़ी कम्पनियों को टक्कर दे सके और ग्राहक उनकी तरफ आकर्षिक न हो सकें इसमें सरकार के साथ दुकानदारों को भी सचेत हो जाना चाहिए।

देश की अर्थव्यवस्था में छोटे दुकानदारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर तथा वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकेगा जबकि फुटकर दुकानदारों का भरपूर सहयोग होगा तथा आगामी वर्ष 2030 तक के लिए कम से कम 9–10 प्रतिशत वार्षिक विकास की दर को सुनिश्चित करना ही होगा। यह तभी सम्भव होगा जब लोकल को वोकल की नीति अपनायी जाए। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.) के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

बजट में आयकर बढ़ाइए

वित्तमंत्री को आगामी बजट में तय करना है कि वे सरकार के घाटे की भरपाई कैसे करेंगी? इस वर्ष कोविड संकट के चलते सरकार का वित्तीय घाटा देश के जीडीपी का 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। घाटा बढ़ना स्वाभाविक है। बीते कई वर्षों से सरकार लगातार आयकर, जीएसटी और आयत कर की दरों में कटौती करती आ रही है। यह कटौती सार्थक होती, यदि साथ–साथ अर्थव्यवस्था में गति आती। जैसे हल्का भोजन करने से शरीर में तेजी आती है, लेकिन कटौती के कारण सरकार के राजस्व में उलट गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था के मंद पड़े रहने के कारण राजस्व में भी गिरावट आयी है। सरकार का घाटा तेजी से बढ़ रहा है, जैसे व्यक्ति हल्का भोजन करे लेकिन प्रदूषित क्षेत्र में रिहाईश करे तो हल्का भोजन निष्प्रभावी हो जाता है। राजस्व में गिरावट की यह परिस्थिति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है, उसी तरह जैसे ऋण लेकर घी पीने की प्रक्रिया ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। चार्वाक के सिद्धांत "ऋणं कृत्वा घृतम पिवेत" से काम नहीं चलेगा। अंततः सरकार को अपने उन खर्चों को कम करना होगा, जो उत्पादक नहीं हैं, जैसे मूर्तियाँ बनाना।

आगामी बजट में सरकार को आयकर में और कटौती नहीं करनी चाहिए। बल्कि आयकर में वद्धि करनी चाहिए। इससे समद्ध वर्ग पर टैक्स का बोझ बढेगा लेकिन इनकी खपत में ज्यादा कटौती नहीं होगी। जीएसटी की दर में कटौती करनी चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और बाजार में मांग बढ़ेगी।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

बीते वर्षों में सरकार ने आयकर में बड़ी कम्पनियों और छोटे करदाताओं सभी को कुछ न कुछ छूट दी है। अपेक्षा थी कि आयकर की दर में कटौती होने के कारण आयकरदाताओं के हाथ में ज्यादा रकम बचेगी और वे बाजार से माल अधिक मात्र में खरीदेंग और खपत अधिक करेंगे। साथ–साथ बड़े उद्योगों के हाथ में ज्यादा रकम बचेगी और वे ज्यादा निवेश करेंगे। इस प्रकार बाजार में खपत और निवेश का सुचक्र स्थापित हो जाएगा। इस सुचक्र के स्थापित होने से पुनः सरकार को अधिक मात्र में आयकर मिल जाएगा। आयकर की दर को घटाने से अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कारण यह है कि

आयकर मुख्यतः देश का समृद्ध वर्ग अदा करता है। यदि सरकार ने इस वर्ग को आयकर में 100 रूपये की छूट दी तो हम मान सकते हैं कि 50 रुपया वे बचत करेंगे। इस रकम का निवेश वे शेयर बाजार, विदेश में अथवा सोना खरीदने में करेंगे। शेष 50 रूपये यदि वे खपत में लगाते हैं तो हम मान सकते हैं कि इसमें से 25 रूपये विदेशी माल खरीदने में, विदेश यात्रा करने में अथवा बच्चों को विदेश में पढने को भेजने में लगायेंगे। इस प्रकार 25 रुपया विदेश चला जायेगा। अंत में केवल 25 रूपये की देश के बाजार में मांग उत्पन्न होगी। सरकार का घाटा 100 रूपए बढेगा जबकि बाजार में मांग 25 रूपए की बढ़ेगी। न्यून मात्रा में मांग उत्पन्न होने से निवेशकों की निवेश करने की रूचि नहीं बनेगी। इस हानिप्रद नीति को अपनाने के कारण समृद्ध वर्ग के करदाताओं के हाथ में रकम बची लेकिन वह रकम बाजार में न आकर या तो बैंकों में जमा हो गई अथवा विदेशों में चली गयी। इसलिए टैक्स की दरों में कटौती के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था कोविड संकट आने के पहले से ही मंद पड़ी हुई है और इसमें गति नहीं आ रही है। कोविड ने इसे और पस्त कर दिया है।

टैक्स में कटौती करने का दूसरा पक्ष घाटे की भरपाई का है। सरकार के खर्च बढ़ते जा रहे हैं लेकिन टैक्स में छूट देने से राजस्व में कटौती हो रही है। इसलिए सरकार का घाटा बढ़ रहा है। इस घाटे की भरपाई सरकार बाजार से ऋण लेकर पूरी करती है। इसी घाटे को वित्तीय घाटा कहा जाता है। जैसा ऊपर बताया गया है इस चालू वर्ष 2020–21 में यह घाटा जीडीपी का 3. 5 प्रतशत से बढ़कर 7 प्रतिशत होने को है। यह बढ़ता वित्तीय घाटा 1 या 2 वर्ष के लिए सहन किया जा सकता है जैसे दुकानदार बैंक से ऋण लेकर यदि अपने शोरूम का नावीनीकरण करे और उसकी

टैक्स में कटौती करने का दूसरा पक्ष घाटे की भरपाई का है। सरकार के खर्च बढ़ते जा रहे हैं लेकिन टैक्स में छूट देने से राजस्व में कटौती हो रही है। इसलिए सरकार का घाटा बढ़ रहा है। इस घाटे की भरपाई सरकार बाजार से ऋण लेकर पूरी करती है। इसी घाटे को वित्तीय घाटा कहा जाता है।

बिक्री बढ़ जाये तो एक या दो वर्ष के अंदर वह अतिरिक्त बिक्री से हुयी अतिरिक्त आय से लिए गये ऋण का भुगतान कर सकता है। लेकिन यदि वह ऋण लेकर शोरूम का नवीनीकरण करे और बिक्री पूर्ववत रहे तो वह ऋण के बोझ से दबता जाता है, ब्याज का बोझ बढ़ता जाता है, उसकी आय घटती जाती है और अंततः उसका दिवाला निकल सकता है। हाल ही में कुछ जानकारों ने बताया की दुकानदारों ने बैंक से ऋण लेते समय जो पोस्ट डेटेड चेक दे रखे थे वे उनका भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी आय दबाव में है। कुछ अपने व्यक्तिगत खर्चों में कटौती करके बैंकों को कुछ रकम की अदायगी कर रहे हैं। बैंक की वसूली हो भी जाये तो भी दूकानदार की आय कम हो रही है, वह बाजार से कम माल खरीद रहा है और बाजार में मांग कम उत्पन्न हो रही है। अर्थव्यवस्था मंद पड़ी हुई है। ऋण लेना हानिप्रद होता है यदि उसके अनुसार कारोबार में वृद्धि और मुनाफा न हो। आज देश की यही परिस्थिति है। सरकार ऋण लेती जा रही है लेकिन अर्थव्यवस्था मंद पड़ी हुई है।

ऐसे में वित्त मंत्री के सामने चुनौती है। उत्तरोत्तर ऋण लेकर वे अर्थव्यवस्था को नहीं सम्भाल पाएंगी। उन्हें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम सरकारी घाटे को कम करने का लेना होगा। मूर्तियां बनाने और सरकारी कर्मियों को बोनस देने पर विराम लगाना चाहिए। बल्कि कर्मियों के वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए। हाल ही में मुजफ्फरनगर के एक व्यापारी ने बताया कि उनका व्यापार कोविड पूर्व की स्थति से अब आधे पर वापस लौटा है। उनकी आय पूर्व से आधी हो गयी है। यही हाल लगभग देश के अधिकांश कारोबारियों की है। इसलिए जब सेवित की आय में 50 प्रतिशत की कटौती हो गयी है तो सेवकों की आय में भी उसी अनुपात में 50 प्रतिशत की कटौती करना उचित दीखता है। ऐसा करने से सरकार का घाटा घटेगा। समय क्रम में जब अर्थव्यवस्था पुनः ठीक हो जाये तो सेवकों के वेतन पूर्ववत किये जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति जनता की सेवा के लिए की गयी है। जब सेवित मर रहा है तो सेवक को लड्डू खिलने का क्या प्रयोजन है?

आगामी बजट में सरकार को आयकर में और कटौती नहीं करनी चाहिए। बल्कि आयकर में वृद्धि करनी चाहिए। इससे समृद्ध वर्ग पर टैक्स का बोझ बढेगा लेकिन इनकी खपत में ज्यादा कटौती नहीं होगी। जीएसटी की दर में कटौती करनी चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और बाजार में मांग बढ़ेगी। आयातकर में भी वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि आयातित माल देश में न आये और घरेलू उद्योगों का विस्तार और समृद्धि हो। यदि वित्तमंत्री आयकर और आयात कर बढ़ाकर जीएसटी को कम करें तो अर्थव्यवस्था पुनः कुछ अंश तक पटरी पर आ सकती है। ❑❑

कहां गए पोखर-तालाब

आज पूरे देश में पोखर और तालाबों के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है। अनेकानेक तालाब सूखकर सिमट गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 24 लाख तालाब थे, जिनमें से 20 लाख तालाब गाायब हो चुके हैं। भू–माफियाओं, राजनेता तथा अधिकारियों के गठजोड़ ने मिलकर तालाबों का पानी ही नहीं पिया, अपितु महर्षि अगस्त्य से भी आगे बढ़कर पानी सहित उनके अस्तित्व को ही निगल लिया है। जब तक तालाबों की व्यवस्था का कार्य समाज के हाथ में था, समाज के धनिक वर्ग द्वारा समय–समय पर नए–नए तालाबों का निर्माण एवं पुराने तालाबों की खुदाई कराकर उनके संरक्षण–संवर्धन किया जाता रहा है। किंतु वर्ष 1863 में पीडब्ल्यूडी विभाग के बनते ही यह कार्य शासन द्वारा राज्यों के पीडब्ल्यूडी विभाग सौंप दिया गया। इसका जिम्मा सिंचाई विभाग के हाथों में भी दिया जाता रहा है। दोनों विभागों की खींचतान का असर हुआ कि कोस–कोस में तालाबों से पटी देश की भूमि तालाब रहित हो रही है।

न्यायालयों की तत्परता तथा राज्य व जिला प्रशासन की हालिया कार्यवाही से एक आशा जगी है कि आने वाले दिनों में पोखरा तालाब सुरक्षित होंगे, अतिक्रमण से मुक्त होंगे तथा समाप्त प्राय तालाब पुनः जलाप्लावित होकर जल संरक्षण तथा जल संवर्धन का कार्य करेंगे, जिससे प्रकृति एवं समस्त जीव–जंतुओं को पर्याप्त जल प्राप्त होगा तथा जल समस्या का भी समाधान होगा।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

आगरा (उत्तर प्रदेश) के राजपुर गांव में स्थित खसरा नंबर 253 एवं 254 में कभी जल की अपार राशि रहा करती थी तथा वह जल आसपास के लोगों तथा जीव–जंतुओं के लिए जीवन अमृत प्रदान करता था। किंतु नवधनाढ्यों की नजर उस पर ऐसी लगी कि आज उस तालाब के स्थान पर विशाल अट्टालिकाएं खड़ी है। बदायूं जिले के अनेक तालाब भू–माफिया की भेंट चढ़ चुके हैं। चंदोखर, पक्का तालाब तथा चमर तलैया जिनका क्षेत्रफल 50 बीघे से भी अधिक था, अपना अस्तित्व गंवा चुके हैं और अब उनके स्थान पर कल्याण नगर, प्रोफ़ेसर कॉलोनी जैसी पाश कॉलोनियां उग आई हैं। पक्का तालाब का संबंध सुरंग के माध्यम से राजा महिपाल के महल से था, जहां स्नान करने के लिए रानियां जाया करती थी। अब पक्के तालाब का अवशेष मात्र शेष है। इसी प्रकार कानपुर–आगरा राजमार्ग पर एत्मादपुर से पहले कभी एक विशाल तालाब 'बुढ़िया का तालाब' विशाल दरिया के रूप में स्थित था, जिसमें रजवाहे के माध्यम से पानी निरंतर आता रहता था और वह वर्ष पर्यंत लबालब पानी से भरा रहता था किंतु अब वहां पर पानी का नामोनिशान नहीं है तथा बबूल सहित कांटेदार वृक्षों का जंगल खड़ा हो गया है। प्रयागराज स्थित तालाब नवलराय अब इतिहास का विषय बन गया है। शायद ही किसी को मालूम हो कि कभी यहां विशाल तालाब था, जिसके स्थान पर आज इस नाम का मौहल्ला कायम हो गया है। प्रयागराज में ही बारा तहसील के लालापुर मार्ग पर स्थित धरा गांव का तालाब अपने आपमें अद्वितीय था। 40 एकड़ में फैले इस तालाब की भूमि कंक्रीट की बनाई गई थी और उसमें चारों ओर से आकर बरसाती पानी जमा होता था तथा वह अड़ोस–पड़ोस के गांवों सहित धरा गांव के लोगों तथा अन्य जीव–जंतुओं के पेयजल के साथ–साथ फसलों की सिंचाई एवं अन्य आवश्यक कार्यों में उपयोग में लाने पर भी वर्ष पर्यंत लबालब भरा रहता था। किंतु आज वहां पानी के स्थान पर सूखी भूमि नजर आती है। गोरखपुर स्थित असुरन पोखरा, जिसे सन 1075 से 1077 के मध्य राजा शूरपाल ने विष्णु मंदिर के साथ बनवाया था, आज पानी रहित होकर असुरन मोहल्ले के नाम से

गोरखपुर में जाना जाता है। कानपुर देहात घाटमपुर स्थित कुष्मांडा देवी मंदिर का तालाब भी अपनी यही कहानी कह रहा है। गाजीपुर के सिद्धपीठ भुड़कुड़ा के उत्तरी छोर पर स्थित पोखरा चमत्कारी पोखरा के नाम से जाना जाता है, जिसे सिद्धपीठ के दूसरे महान संत गुलाल साहिब ने संवत 1766 में खुदवाया था, आज अंतिम सांसे ले रहा है। इसी प्रकार अलीगढ़ से अतरौली स्थित राजमार्ग पुर गांव का तालाब, शाहजहांपुर की तहसील तिलहर और पुवाया की सीमा में लघौला चेना में 84 बीघा के विशाल क्षेत्र में फैला तालाब, अमेठी के 109 हेक्टेयर में फैला हुआ समदा ताल, नोएडा के बिलासपुर में स्थित 40 बीघा का ताल आदि।

आज देश का तीन चौथाई भाग पेयजल की समस्या से जूझता नजर आता है। देश के लगभग 70 प्रतिशत घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए बाध्य हैं, जिसके चलते लगभग 4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष बीमार होते हैं। देश में प्रतिवर्ष लगभग 4000 अरब घन मीटर पानी वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता है किंतु उसका लगभग 8 प्रतिशत पानी ही हम संरक्षित कर पाते हैं, शेष पानी नदियों, नालों के माध्यम से बहकर समुद्र में चला जाता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वर्षा के जल को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके चलते स्थान–स्थान पर पोखर, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि निर्मित कराए जाते थे, जिनमें वर्षा का जल एकत्र होता था तथा वह वर्ष भर जीव–जंतुओं सहित मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध होता था। किंतु अब वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर इनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है।

पोखर एवं तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए प्रकृति प्रेमी तथा जल संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में कार्य कर रहे लोगों द्वारा समय–समय पर ऐसे जल स्रोतों की सुरक्षा हेतु माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई गई। श्री हिंचलाल तिवारी, जगपाल व अन्य की जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के सारे झील तालाब झरनों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद गाजीपुर के इकबाल अहमद की जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए तालाबों से अतिक्रमण हटाने के लिए 2005–06 में आदेश पारित करते हुए कहा गया कि 1952 के पहले के राजस्व अभिलेखों में पोखर, तालाब आदि के रूप में अंकित जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कर उन्हें बहाल किया जाए। माननीय न्यायालयों द्वारा पारित उक्त निर्णयों से कुछ जलाशयों को जीवनदान मिला, किंतु उनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा।

उत्तर प्रदेश के आगरा के राजपुर गांव के खसरा नंबर 253 एवं 254 में स्थित तालाब को बहाल कराने हेतु संघर्ष कर रही सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसाइटी आगरा के लोग उक्त निर्णय के आलोक में शासन प्रशासन से संबंधित तालाब की मुक्ति हेतु निरंतर अनुनय विनय करते रहे, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। हारकर उन्होंने भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली और जनहित याचिका दाखिल कर तालाब को मुक्त कराने का अनुरोध किया। जिसमें निर्णय पारित करते हुए जिलाधिकारी आगरा को संबंधित तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसे बहाल कराने का आदेश दिया गया। किंतु जिलाधिकारी उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर बहाल नहीं करा सके, क्योंकि संबंधित तलाब में कंक्रीट की अट्टालिकाओं का मायाजाल फैला हुआ था। भू–माफिया, राजनेता एवं अधिकारियों का रचना संसार अपने प्रभाव से जिलाधिकारी को तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने में सफल नहीं होने दिया। फलस्वरूप जनहित याचिकाकर्ता 'सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसाइटी' ने पुनः एक बार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण जनहित याचिका संख्या 1479/19 के माध्यम से ली, जिसमें निर्णय पारित करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल तथा न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उनकी पुनर्बहाली का आदेश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव को राजस्व परिषद के चेयरमैन के परामर्श से एक मानिटरिंग कमेटी गठित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व तालाबों की सूची तैयार करें तथा अतिक्रमण हटाकर उनकी पुनर्बहाली का कार्य करें।

इस क्रम में न्यायालय ने जिलाधिकारी आगरा को तालाब को बहालकर अपनी रिपोर्ट 3 माह के भीतर महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मानिटरिंग कमेटी में पूर्व न्यायाधीश श्री राम सूरत राम मौर्या को भी आमंत्रित किया जाए। पहले से गठित राज्य स्तरीय जिला स्तरीय समितियां भी अपनी रिपोर्ट नवगठित कमेटी को दें। न्यायालयों की तत्परता तथा राज्य व जिला प्रशासन की हालिया कार्यवाही से एक आशा जगी है कि आने वाले दिनों में पोखरा तालाब सुरक्षित होंगे, अतिक्रमण से मुक्त होंगे तथा समाप्त प्राय तालाब पुनः जलाप्लावित होकर जल संरक्षण तथा जल संवर्धन का कार्य करेंगे, जिससे प्रकृति एवं समस्त जीव–जंतुओं को पर्याप्त जल प्राप्त होगा तथा जल समस्या का भी समाधान होगा। ❑❑

चीनी कंपनी को दिए ठेके को रद्द करने की मांग

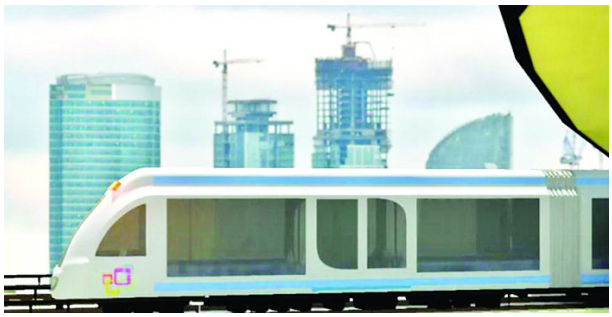

सीमा पर आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की एक कंपनी को दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस परियोजना में ठेका मिलने पर विवाद हो गया है। वंदेभारत और हाई–वे प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर के भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया है। स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी कंपनी को बोली को कैंसिल करने की मांग की है। मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से चीन की कंपनी को मिले ठेके को रद्द करने और इसके बजाय किसी स्वदेशी कंपनी को आगे बढ़ाने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच का दावा है कि अगर सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल होना है, तो इसके लिए अहम परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को बोली लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि देश की पहली क्षेत्रीय त्वरित रेल परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) को क्रियान्वित करने वाली एनसीआरटीसी ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के तहत यह ठेका दिया गया है। हालांकि सीमा पर पिछले कई महीनों से जारी तनाव के कारण देश में चीनी सामान और चीनी कंपनियों के बहिष्कार की मांग उठ रही है। ऐसे में चीनी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का ठेका मिलने से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है।

https://www.divyahimachal.com/2021/01/dispute-on-contract-worth-thousand-crores-to-china/

बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में चोर दरवाजे से करना चाहती हैं प्रवेश

स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉ राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय खुदरा क्षेत्र, दुनिया के सबसे बड़े खुदरा बाजारों में से एक है। यह जहां हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 10 फीसद का योगदान देता है, वहीं देश में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम भी है। मगर, पिछले कुछ महीनों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मल्टीब्रांड रिटेल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का काम चोर दरवाजे से किया है।

विश्व भारती पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय संयोजक ने कहा कि अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य स्थानीय कंपनियों के साथ सोझेदारी कर रही है। इस माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यंत चालाकी से यह कोशिश कर रही है कि देश के एफडीआई कानूनों को धत्ता दिखाते हुए 'ओमनी चैनल' खुदरा मॉडल व्यवस्था लागू की जाए। इससे खुदरा बाजार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम इसे ऐसा कतई नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इसके लिए स्वयं सरकार मूल्य निर्धारित करे। ब्रज प्रांत संयोजक अमितेश अमित ने कहा कि ऐसी आशंका है कि इसके साथ ही 38 फीसद खुदरा व्यवसाय अब एक बड़ी कंपनी के पास आ जाएगा। यह बदलाव एक ऐसी एकाधिकारिक प्रवृत्ति को जन्म देगा, जिसमें एक कंपनी न केवल आपूर्तिकर्ताओं, किसानों आदि का कम कीमत पर खरीद कर शोषण कर सकेगी, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के अभाव में उपभोक्ताओं को माल महंगा बेचकर उनका भी शोषण कर सकती है।

प्रांत संपर्क प्रमुख डॉ राजीव अग्रवाल ने कहा कि किसी भी देश के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज देश के युवाओं ने कोराना काल में यह सिद्ध कर दिया है कि अपना देश भी आत्मनिर्भर हो सकता है ऐसे अनेक स्टार्टअप के माध्यम से युवा स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग करके विभिन्न उत्पादकों के निर्यात करने में आगे आए हैं। प्रांतीय संयोजक अमितेश अमित ने महानगर एवं जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर कार्यवाह रतन कुमार ने राम जन्मभूमि धन संग्रह अभियान के बारे में विस्तार से बताया। महानगर प्रचारक धर्मेंद्र ने गीत कराया। पंकज माथुर महानगर सह कार्यवाह, अमित अग्रवाल, गुंजित वार्ष्णेय, शोभित चौधरी, विजय गुप्ता,

हृदेश गुप्ता, डॉ राजेश अग्रवाल,कृष्ण मुरारी जौहरी,अमित ठाकुर,विनय शर्मा, अंकुर गुप्ता,आदर्श भारद्वाज, मनीष कुमार, विक्रम गौतम आदि मौजूद थे।

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/aligarh-city-multinational-companies-want-to-enter-through-thieves-door-21212262.html

स्वजाम ने मनाया शहीद बाबू गेनू बलिदान दिवस

स्वदेशी जागरण मंच सवाई माधोपुर के तत्वावधान में बालिका आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन में अमर शहीद बाबू गेनू बलिदान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सवाई माधोपुर की पूर्व सभापति डॉ. विमला शर्मा ने की। मंच की प्रांत सह महिला प्रमुख अर्चना मीणा द्वारा वर्तमान समय में स्वदेशी की प्रासंगिकता विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा प्रथम स्वदेशी शहीद बाबू गेनू के जीवन परिचय के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी अपने–अपने विचार व्यक्त किए तथा स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया कार्यक्रम का संचालन मंच की जिला महिला प्रमुख रीना जोशी द्वारा किया गया तथा विभाग सहसंयोजक संतोष शर्मा द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/sawai-madhopur/news/emphasis-on-swadeshi-adoption-babu-genu-saeed-celebrated-sacrifice-day-128032749.html

छोटी कंपनियों ने चलाया भर्ती अभियान

अर्थव्यवस्था की हालत में जैसे–जैसे सुधार हो रहा है, वैसे–वैसे जॉब मार्केट में भी गहमागहमी बढ़ रही है। नई भर्तियों की प्लानिंग करने वाले छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) की संख्या में तिमाही दर तिमाही इजाफा हो रहा है। दिसंबर तिमाही के मुकाबले मार्च तिमाही में डेढ़ गुना छोटे उद्यमों ने हायरिंग की प्लानिंग की है। यह जानकारी ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर टीमलीज की हालिया एंप्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट से मिली है। टीमलीज ने इसे 429 छोटे, 261 मझोले और 125 बड़ी कंपनियों से मिली जानकारी पर तैयार किया है।

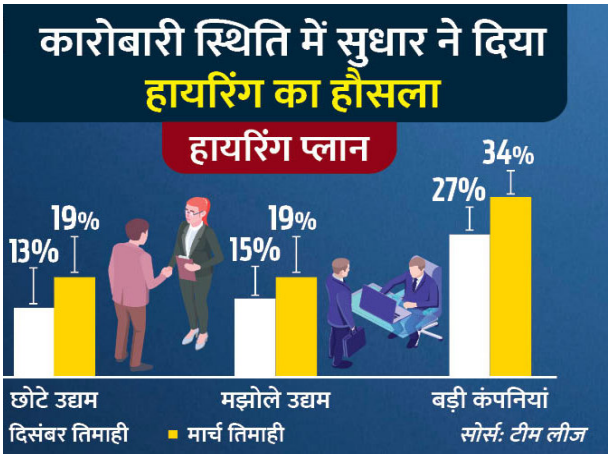

रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 19 फीसदी छोटे उद्यमों ने हायरिंग करने की योजना बनाई है। यह आंकड़ा कम लग सकता है लेकिन पिछली यानी दिसंबर तिमाही का डेढ़ गुना है। दिसंबर तिमाही में सिर्फ 13 फीसदी छोटे उद्यमों ने ही भर्तियों की योजना बनाई थी। जहां तक मझोले उद्यमों की बात है तो, उनमें से 19 फीसदी मार्च तिमाही में भर्तियों के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। दिसंबर तिमाही में ऐसे मीडियम एंटरप्राइजेज 15 फीसदी ही थे, जिन्होंने हायरिंग की प्लानिंग की हुई थी।

मार्च तिमाही के लिए हायरिंग की प्लानिंग करने वाले छोटे और मझोले उद्यम कदमताल कर रहे हैं तो बड़ी कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस तिमाही में 34 फीसदी बड़ी कंपनियों ने भर्तियों की योजना बनाई है, जिनका प्रतिशत पिछली तिमाही में 27 फीसदी था। मार्च तिमाही में हायरिंग की प्लानिंग वाले मीडियम एंटरप्राइजेज का पर्सेंटेज छोटे उद्यमों के बराबर और बड़ी कंपनियों से कम जरूर है। लेकिन इनके आंकड़ों में बढ़ोतरी बताती है कि अनलॉक फेज के दौरान देश में कारोबारी हालत लगातार सुधरी है।

अगर हायरिंग प्लान वाली कंपनियों को सेक्टर के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ई–कॉमर्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में रही है। इस सेक्टर की 41 फीसदी स्टार्टअप मार्च तिमाही में हायरिंग करने जा रही हैं जबकि दिसंबर तिमाही में इनका पर्सेंटेज 31 फीसदी था। गौरतलब है कि देश की दिग्गज ई–कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने कथित तौर पर 2021 में 300 ग्रेजुएट्स को हायर करने की योजना बनाई है। फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत देश के 125 शहरों में लगभग 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अपने नेटवर्क में जोड़ने का फैसला किया था।

टीमलीज की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर इंटरफेस (UI), यूजर एक्सपीरियंस (UX) डेवलपर्स, वेब डिजाइनर, वर्चुअल

रियल्टी (VR) एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस डिजाइनर और एक्सपर्ट की डिमांड में तिमाही आधार पर 40 फीसदी की उछाल आई है। जिन स्किल सेट वालों की डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, उस ग्रुप में इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और स्पेशल एनालिस्ट भी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पायथन और स्विफ्ट जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जानने वालों की मांग से इस सेक्टर में जॉब बढ़ रही है।

https://money.bhaskar.com/business/news/more-sme-startups-look-to-hiring-in-q4-128101209.html

व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत ने उठाए कदमः डब्ल्यूटीओ

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने कहा है कि भारत ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 2015 से 2020 के बीच कई उपायों को लागू किया है, जिनमें आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं और सीमा शुल्क निकासी को सरल बनाना शामिल है। जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ ने कहा कि भारत द्वारा 2015 से शुरू की गई व्यापार सुविधा पहलों में भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट), व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट), बंदरगाह पर सीधे डिलीवरी और सीधे एंट्री की सुविधाएं और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का अधिक इस्तेमाल शामिल है।

विश्व व्यापार संगठन में छह जनवरी से शुरू हुई भारत की सातवीं व्यापार नीति समीक्षा (टीपीआर) की रिपोर्ट में उक्त बिंदुओं का जिक्र किया गया है। टीपीआर के तहत सदस्य देश की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की व्यापक समीक्षा की जाती है। भारत की आखिरी टीपीआर 2015 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि, 'भारत ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान व्यापार को आसान बनाने के लिए कई उपायों को लागू किया, जैसे गैरजरूरी दस्तावेजों की संख्या में कमी और आयात–निर्यात के लिए सीमा शुल्क निकासी प्रणाली का स्वचालन।'

व्यापार संस्था ने कहा कि पिछली समीक्षा के बाद से भारत की व्यापार नीति मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही है। साथ ही डब्ल्यूटीओ ने कहा कि भारत ने व्यापार नीति के साधनों जैसे टैरिफ, निर्यात कर, न्यूनतम आयात मूल्य, आयात और निर्यात प्रतिबंध तथा लाइसेंस प्रणाली पर निर्भरता को जारी रखा है। इस बीच एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि टीपीआर के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने किया। उन्होंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि यह समीक्षा ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का सामना कर रही है।

https://www.amarujala.com/business/business-diary/world-trade-organisation-wto-said-india-took-several-steps-to-ease-trade-from-2015-to-2020

कृषि की जीवीए ग्रोथ 3.4 प्रतिशत तक होने की उम्मीद

कोविड–19 महामारी का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक वित्त वर्ष 2020–21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.7 प्रतिशत गिरावट का अनुमान है।

मुख्यतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में गिरावट की वजह से ये स्थिति बनने का अनुमान है। हालांकि, इस संकट के दौर में भी कृषि क्षेत्र में ग्रोथ होने की बात कही गई है। एनएसओ ने ये जानकारी ऐसे समय में दी है जब बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को लेकर किसान डटे हुए हैं। ये किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

कृषि क्षेत्र में कितना ग्रोथः वित्त वर्ष 2020–21 में कृषि, वन और मत्स्यपालन की वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि 2019–20 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर 4 प्रतिशत रही थी।

इसी तरह चालू वित्त वर्ष में बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य यूटिलिटी सेवाओं की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2019–20 में इन क्षेत्रों की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रही थी। चालू वित्त वर्ष में जीवीए में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 9. 4 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है।

क्या है जीवीएः आसान भाषा में समझें तो जीवीए से

किसी इकोनॉमी में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। इससे ये जानकारी मिलती है कि तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और रॉ मैटीरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपये की प्रोडक्टिविटी हुई है। इसका आकलन कृषि, मैन्युफैक्चरिंग समेत अन्य क्षेत्रों के लिए भी किया जाता है।

सरकार की ओर से आया बयानः इस अनुमान को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी बयान आया है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ''2020–21 का अग्रिम अनुमान चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार का संकेत देता है। यही वजह है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट अब 7.7 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है।''

भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया है, ''अब यह आधिकारिक हो गया है कि कोविड–19 महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था में 1979–80 के बाद पहली बार गिरावट आएगी।'' बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

https://www.jansatta.com/business/india-2020-21-gdp-contraction-economy-mainly-impact-of-coronavirus-pandemic-agriculture-sector-growth-farmers-govt-advance-estimate/1609815/

विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा फिर नए रिकॉर्ड पर

एक सप्ताह पहले की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की पहली तारीख को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 4.683 अरब डॉलर बढ़कर 585. 324 अरब डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। पिछले वर्ष 25 दिसंबर को खत्म सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार गिरावट के साथ 580.841 अरब डॉलर का रह गया था।

उससे पिछले सप्ताह यह 581.131 अरब डॉलर की तात्कालिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले वर्ष पांच जून को खत्म सप्ताह के दौरान पहली बार 500 अरब डॉलर और नौ अक्टूबर को खत्म सप्ताह के दौरान 550 अरब डॉलर के पार पहुंचा था।

आरबीआइ के मुताबिक पहली जनवरी को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में तेज उछाल आया, जिसका असर विदेशी मुद्रा भंडार आंकड़ों पर देखा गया। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का मूल्य 4.168 अरब डॉलर मजबूत होकर 541.642 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एफसीए में अमेरिकी डॉलर को छोड़ यूरो, पाउंड व अन्य मुद्राओं को शामिल किया जाता है। इसकी गणना भी डॉलर के मूल्य में ही होती है। समीक्षाधीन सप्ताह के आखिर में देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य 31.5 करोड़ डॉलर चढ़कर 37.026 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

https://www.jagran.com/business/biz-forex-reserve-of-india-reaches-to-record-high-of-usd-585-bn-last-week-21251764.html

बेजोस को पीछे छोड़ एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर

स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। उन्होंने दिग्गज अमेरिकी ई–कॉमर्स कंपनी अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा। मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयरों की कीमतों में 4.8 फीसदी का उछाल आया। जिसके साथ ही एलन मस्क ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर 500 व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए।

दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क की न्यूयॉर्क में संपत्ति 188.5 अरब डॉलर थी। यह बेजोस के मुकाबले 1.5 अरब डॉलर अधिक है। उल्लेखनीय है कि जेफ बेजोस ब्लूमबर्ग की इस सूची में अक्तूबर 2017 से पहले स्थान पर बने हुए थे। स्पेसएक्स के सीईओ के तौर पर एलन मस्क की अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी दौड़ में बेजोस से प्रतिद्वंद्विता भी है। बेजोस ब्ल्यू ओरिजिन एलएलसी के मालिक हैं।

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में एलन मस्क की संपत्ति में खूब बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के अनुसार, पिछले साल

ही उनकी संपत्ति में 150 अरब डॉलर से अधिक का इजाफा हुआ है। शानदार प्रॉफिट के चलते पिछले साल टेस्ला के शेयरों की कीमतों में 743 फीसदी की बढ़त हुई। बता दें कि छह जनवरी तक एलन मस्क की नेटवर्थ 181 अरब डॉलर पहुंच गई थी, तभी से बेजोस की गद्दी पर संकट के बादल छा गए थे।

ब्लूमबर्ग दुनियाभर के अमीरों की सूची प्रतिदिन के हिसाब से जारी करता है। इसकी बिलियनेयर इंडेक्स में जेफ बेजोस अक्तूबर 2017 से पहले स्थान पर बने हुए थे। अब साल 2021 में आकर इस स्थान पर किसी और व्यक्ति का नाम आ पाया है। इस बिलियनेयर इंडेक्स में सामान्यतः अरबपतियों के पास मौजूदा पूरी संपत्ति के आधार पर रैंकिंग की जाती है। वर्तमान में जेफ बेजोस की संपत्ति 187 अरब डॉलर है।

https://www.amarujala.com/business/elon-musk-became-richest-person-in-the-world-surpassing-jeff-bezos

नौकरी देने में आगे आया इंश्योरेंस सेक्टर

जॉब मार्केट में सुधार होने के संकेत मिल रहे हैं, जो बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। कोविड–19 वाले साल के अंतिम महीने में नवंबर से 14 पर्सेंट ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलीं। नौकरियों का यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले कमजोर है, लेकिन कमी सिर्फ 10 पर्सेंट की ही है। यह जानकारी जॉब पोर्टल नौकरी.कॉम के जॉबस्पीक इंडेक्स से मिली है।

इंडेक्स के मुताबिक, इंश्योरेंस सेक्टर में नवंबर के मुकाबले पिछले महीने 45 पर्सेंट से ज्यादा भर्ती हुई। इस सेक्टर में नौकरी बढ़ने की वजह महामारी के चलते लोगों में स्वास्थ्य और बीमा को लेकर बढ़ी जागरूकता रही। भर्तियों के मामले में ऑटो और एंसिलरी सेक्टर दूसरे नंबर पर रहा, जहां 33 पर्सेंट ज्यादा नौकरियां दी गईं। इसकी वजह साल के अंत में होनेवाली गाड़ियों और उसमें लगने वाले सामान

की खरीदारी रही। इसके अलावा फार्मा और बायोटेक में नवंबर के मुकाबले 28 पर्सेंट, FMCG सेक्टर में 21 पर्सेंट और आईटी सॉफ्टवेयर में 11 पर्सेंट ज्यादा भर्तियां हुईं।

दिसंबर के हायरिंग ट्रेंड में सबसे अच्छी बात यह रही कि टिकटिंग और ट्रैवल जैसे रोल वाली नौकरियों में दिसंबर में 46 पर्सेंट की उछाल आई। दरअसल कोविड–19 के चलते सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले होटल/रेस्टोरेंट जैसी इंडस्ट्री में पिछले महीने नवंबर के मुकाबले 13 पर्सेंट ज्यादा भर्तियां हुईं। टीचिंग और एडुकेशन रोल में भर्तियां 27 पर्सेंट और एचआर/एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में 22 पर्सेंट ज्यादा भर्तियां हुईं। जॉब मार्केट में पिछले महीने मांग में सबसे ज्यादा लगभग 18 पर्सेंट की बढ़ोतरी 8 से 12 साल और 13 से 16 साल के अनुभव वाले प्रोफेशनल्स की रही।

लेकिन कामगारों में बेरोजगारी फिर बढ़ गई और यह जून में अनलॉक फेज की शुरुआत के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। दिसंबर में बेरोजगारी 9.1 पर्सेंट रही, जो अप्रैल में 23.52 पर्सेंट के रिकॉर्ड हाई लेवल पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी सिर्फ 6.5 पर्सेंट थी। दरअसल, लॉकडाउन के दौरान घरों को लौटे मजदूरों को खेती खपा नहीं पाई, इसलिए उनका शहरों में लौटना शुरू हो गया। ❑❑

https://money.bhaskar.com/business/news/recruitment-increased-by-14-in-december-insurance-sector-leads-in-hiring-128097399.html

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी बैठकें

सचित्र झलक

अलीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश

अमरोहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश

देहरादून, उत्तराखण्ड

चाईना डोर के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच (बटाला, पंजाब) ने डीएसपी को ज्ञापन दिया

राजगढ़ (म.प्र.) में स्वदेशी बैठक

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15–16 जनवरी 2021 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी बैठकें

सचित्र झलक

दिल्ली

पश्चिमी मेदनीपुर, प.बंगाल

पश्चिमी वर्धमान, प.बंगाल

नंदिया, प.बंगाल

नंदिया, प.बंगाल में प्रतिभागी

रीवा (महाकौशल) बैठक में उपस्थित प्रतिभागी

रीवा , महाकौशल

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती